न्याय के लिए बजट

11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन

मार्गदर्शिका

India Justice Report | 2025

न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन : मार्गदर्शिका

नवंबर 2025 में 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' द्वारा प्रकाशित

'न्याय के लिए बजट' में 1 करोड़ से अधिक आबादी और उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले शीर्ष 11 राज्यों में न्याय व्यवस्था के लिए बजटीय आवंटन और ख़र्चों का अध्ययन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेज़ों का उपयोग करते हुए, यह आवंटन और उपयोग के स्तर और न्याय व्यवस्था के मुख्य स्तंभों- पुलिस, जेल, न्यायपालिका, और क़ानूनी सहायता को मिले बजट का विश्लेषण करता है।

हर स्तंभ में प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का भी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए IJR की वेबसाइट देखें:

https://indiajusticereport.org

रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ने और वेब इंटरैक्टिव देखने के लिए यह कोड स्कैन करें

रिपोर्ट डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिव्स (www.howindialives.com)

अनुवाद: मनीष झा

संपादन: भारत सिंह

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित

पता: 1743 उदयचंद मार्ग, फ़र्स्ट और अपर ग्राउंड फ़्लोर, कोटला मुबारकपुर, साउथ एक्सटेंशन के पास, भाग-1, नई दिल्ली- 110003

© इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025

यह रिपोर्ट विभिन्न सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। यहां प्रस्तुत सूचनाओं को हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। लेखक इस रिपोर्ट में सामान्य तौर पर या रैंकिंग के लिए उपयोग किए गए संदर्भों, जानकारी, डेटा या उनके स्रोतों की शुद्धता या सटीकता के लिए किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी से इनकार करते हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस रिपोर्ट के डिज़ाइन समेत किसी भी हिस्से को, किसी भी रूप में- इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, किसी भी माध्यम से- फ़ोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य सूचना भंडारण या पुनः प्राप्ति प्रणाली द्वारा नीचे दिए गए संदर्भ के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदर्भ सुझाव: 'न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025)'

न्याय के लिए बजट

11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन

मार्गदर्शिका

India Justice Report | 2025

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) सरकार के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न राज्यों की औपचारिक न्याय व्यवस्था की क्षमता को रैंक करने वाला गणनात्मक सूचकांक है। यह दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI), कॉमन कॉज़, सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के सहयोग से किया गया एक साझा प्रयास है।

पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई और दो साल में आने वाली IJR हर राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और स्थायी कमी का पता लगाती है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन उनकी पुलिस, न्यायपालिका, जेल, क़ानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों के बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्यभार और विविधता जैसे मात्रात्मक मापदंडों पर किया जाता है।

टीम के सदस्य

डॉ. अर्शी शौकत (डेटा विश्लेषक, IJR)
भारत सिंह (संचार सलाहकार, IJR)
सौम्या श्रीवास्तव (शोधकर्ता, IJR)
वलय सिंह (प्रमुख, IJR)

समीक्षक

पूजा पार्वती (स्वतंत्र सलाहकार)
माया दारूवाला (मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट)

डिज़ाइन

हाउ इंडिया लिव्स (www.howindialives.com)

साझेदारों के बारे में

→ **सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस (सामाजिक न्याय केंद्र/ CSJ)** संगठन हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों के न्याय तक पहुंचने के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। फ्रेरे की विचारधारा से प्रेरित CSJ, भारत के आठ से अधिक राज्यों में सक्रिय है, जहां उसने मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए हैं और ज़मीनी स्तर पर क़ानून का रणनीति के रूप में उपयोग करते हुए काम किया है। CSJ की मुख्य कोशिशें क़ानूनी सुधार और अनुसंधान में संस्थागत बदलाव लाना है। ये हस्तक्षेप महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक रूप से कमज़ोर समूहों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर क़ानून और नीति निर्माण को ज़मीनी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के साथ व्यापक रूप से जोड़ते हैं।

→ **कॉमन कॉज़** सार्वजनिक मुद्दों की वकालत, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संस्थाओं की अखंडता के लिए अभियानरत है। यह लोकतांत्रिक तरीक़ों और प्रचार के ज़रिए लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीतियों में सुधारों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कॉमन कॉज़ ख़ासतौर पर उन बदलावों के लिए जाना जाता है जो वह जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से लाने में सफल रहा है, जैसे कि पूरे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का रद्द होना; मनमाने तरीके से आवंटित कोयला खदानों का रद्द होना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार' को मान्यता देना। कॉमन कॉज़ और CSDS-लोकनीति 2018 से पुलिस की जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग पर 'स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट्स' (SPIRs) प्रकाशित करते हैं।

→ **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI)** एक स्वतंत्र, ग़ैर-सरकारी, ग़ैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल देशों में शोध, रणनीतिक प्रचार और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानवाधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति के लिए कार्य करता है। CHRI विशेष रूप से न्याय तक पहुंच (पुलिस और जेल सुधार) और सूचना तक पहुंच के क्षेत्र में काम करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया अधिकारों और दासता के समकालीन रूपों को समाप्त करने के लिए भी कार्य करता है। CHRI कॉमनवेल्थ द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है और इसे UN ECOSOC (संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल) से विशेष परामर्शदाता का दर्जा प्राप्त है।

→ **DAKSH** बेंगलुरु स्थित एक थिंक-टैंक है जो मज़बूत, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक संस्थाओं की दिशा में कार्य करके कानून के शासन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

→ **TISS–प्रयास** की 1990 में स्थापना की गई। यह 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' के 'सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी' की एक सामाजिक कार्य प्रदर्शन परियोजना है। 'प्रयास' का मुख्य ध्यान सेवा प्रदान करने, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों और समूहों के लिए सुधार और पुनर्वास से संबंधित नीतिगत बदलाव लाने पर है। इसका मिशन सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों, समुदायों और समूहों को मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली की नीति और प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी और समझ देना है, क्योंकि इन लोगों/समूहों के आपराधिक वारदातों, यौन शोषण या मानव तस्करी का शिकार होने का ज़्यादा ख़तरा होता है।

→ **विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी** एक स्वतंत्र थिंक-टैंक है जो क़ानूनों को बेहतर बनाने और सार्वजनिक हित के लिए शासन सुधारने के उद्देश्य से क़ानूनी शोध करता है। यह उच्च गुणवत्तापूर्ण और मौलिक क़ानूनी शोध के ज़रिए यह कार्य करता है। साथ ही, भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर नीति-निर्माण के बारे में सूचित करने और नीतियों के प्रभावी ढंग से क़ानून बनने में सहायता करता है; महत्वपूर्ण क़ानून और नीति संबंधी मुद्दों पर न्यायालयों में अपील और रणनीतिक मुक़दमेबाजी करता है। इसके स्थायी मूल्य प्रभाव, उत्कृष्टता और स्वतंत्रता हैं।

संक्षिप्ताक्षर

AE	वास्तविक व्यय
AG	एडवोकेट जनरल/महाधिवक्ता
BE	बजट अनुमान
CAG	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
CAPF	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
CENVA	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
CFI	भारत की समेकित निधि
CGA	लेखा महानियंत्रक
CPS	बाल संरक्षण योजना
1CS	केंद्र प्रायोजित योजना
DEA	आर्थिक कार्य विभाग
DISHA	न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना
DRSC	विभाग-संबंधित स्थायी समिति
FSL	फ़ॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
FTSC	फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट
GDP	सकल घरेलू उत्पाद
GSDP	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GST	वस्तु एवं सेवा कर
ICPS	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएं
IMF	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMFS	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
MoD	रक्षा मंत्रालय
MoF	वित्त मंत्रालय
MFDIS	रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा का आधुनिकीकरण कोष
MHA	गृह मंत्रालय
MLJ	विधि एवं न्याय मंत्रालय
NCCD	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क
NIIF	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष
NFIES	राष्ट्रीय फ़ॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना
PA	लोक लेखा समिति
POCSO	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
PSU	सार्वजनिक उपक्रम
RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक
RE	संशोधित अनुमान
SDG	सतत विकास लक्ष्य
UPSC	संघ लोक सेवा आयोग

कॉपीराइट और उद्धरण 2
शीर्षक पृष्ठ 3
टीम के सदस्य 4
साझेदारों के बारे में 5
संक्षिप्ताक्षर 7

1. बजट क्या होता है? 10
2. राजकोषीय घाटा 11
3. बजट के दो भाग: राजस्व और व्यय 12
(i) आय पर एक नज़र 12
(ii) व्यय पर एक नज़र 13
4. स्वीकृत या अभिभारित व्यय 14
5. भारत में सरकारी खातों की संरचना 14
6. सरकारी अकाउंटिंग का छह-स्तरीय कोड 15
7. बजट चक्र 16
(i) बजट नियोजन 16
(ii) बजट अधिनियमन/अनुमोदन 18
(iii) बजट निष्पादन/कार्यान्वयन 19
(iv) बजट पर्यवेक्षण/ऑडिट 19
8. शासन के स्तर और बजट का प्रवाह 20
(i) शासन के तीन स्तर 20
(ii) भारतीय वित्त आयोग (FC) 21
(iii) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) 24
(iv) मुख्य योजनाएं 24
(v) केंद्रीय योजनाएं 24

9. नीति आयोग 24

10. बजट विश्लेषण में पर्यवेक्षण रिपोर्ट की भूमिका 25

अनुलग्नक 26

संदर्भ सूची 27

शब्दावली 28

चित्रों की सूची 32

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) राज्यों की न्याय प्रदान करने वाली सेवाओं की संरचनात्मक क्षमता का मूल्यांकन करती है और इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग करती है। सरकारों के सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर, यह रिपोर्ट हर राज्य में पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता सेवाओं के बजट, मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्यभार और विविधता का आकलन करती है। यह सुधार और कमियों को सामने लाने के लिए रुझानों का भी विश्लेषण करती है।

न्याय प्रणाली को मिलने वाला बजट या सरकार द्वारा आम जनता और करदाताओं से जमा किए हुए पैसों का आवंटन इस क्षेत्र को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है। इसी बजट से भी न्यायिक तंत्र की कार्यपद्धति भी निर्धारित होती है। बजट दस्तावेज़ बेहद तकनीकी और जटिल होते हैं। यह मार्गदर्शिका, यह समझाने में मदद करने के लिए तैयार की गई है कि बजट में आम तौर पर क्या होता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और बजट दस्तावेज़ों को कैसे पढ़ा और समझा जाए। यह मार्गदर्शिका IJR के विस्तृत प्रारंभिक अध्ययन का एक सहायक दस्तावेज़ है, जिसमें बताया गया है कि देश के ग्यारह सबसे अमीर राज्य अपनी न्याय प्रणाली के लिए कितना बजट आवंटित करते हैं।[1]

1. बजट क्या होता है?

कोई निजी या घरेलू बजट जिन तर्क और मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है, सरकार का बजट भी मूलतः उन्हीं का पालन कर तैयार किया जाता है। घर का बजट बनाते समय सबसे पहले, हम अपनी नियमित 'आय' का आकलन करते हैं और साथ में आकस्मिक आय जैसे- FD इत्यादि का भी जो हमारी धनराशि में वृद्धि कर सकती है। इससे पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध धनराशि, ख़र्च की सीमा और ऋण की ज़रूरत का हिसाब-किताब करने में मदद मिलती है।

बजट तैयार करने के लिए किराए और खाने-पीने जैसे बार-बार होने वाले ख़र्चों को हमेशा योजनागत ख़र्चों में शामिल करना चाहिए, जैसे कोई व्यवस्थित निवेश योजना बनाते हुए किया जाता है। बजट में जीवन बेहतर और आरामदायक बनाने वाले ख़र्च भी शामिल हो सकते हैं। जैसे, घर में एक अतिरिक्त कमरा बनाना। इसमें कुछ एकमुश्त ख़र्च भी रखे जा सकते हैं, जैसे कार की मरम्मत या नई कार लेना या घर का कोई और सामान ख़रीदना। कुछ महीनों में त्योहारों, शादियों या यात्रा आदि के कारण अतिरिक्त ख़र्च होता है, जबकि आपातकालीन चिकित्सा ज़रूरतों या दूसरे अप्रत्याशित ख़र्चों के लिए अलग से कुछ पैसे सुरक्षित रखने की ज़रूरत हो सकती है। कभी-कभी हमें नियमित ख़र्चों के लिए, अचानक होने वाली ख़रीदारी या किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए उधार लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कोई भी बजट, चाहे वह मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाना चाहिए।

सरकारें भी इसी तरह काम करती हैं। दरअसल, किसी भी सरकार का आधिकारिक बजट दस्तावेज, चाहे वह केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य का, यह बताता है कि पैसा कहां से आ रहा है, जिसे 'प्राप्तियां' कहा जाता है। यह पैसा कैसे और कहां ख़र्च किया जाएगा, इसका विवरण 'बजट अनुमान' (BE) में रहता है और यह वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल में हर विभाग को आवंटित किया जाता है। साल के बीच में बनाए जाने वाले 'संशोधित अनुमान' (RE) में अब तक हुए ख़र्च का और शेष वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक या ख़र्च की जाने वाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। 'वास्तविक व्यय' (AE) या ऑडिट होने के बाद सामने

चित्र 1: घरेलू आय/ख़र्च का ब्यौरा

S.No.	Items	Income (in Rs.)
I.1	Salary	1,00,000
I.2	Income earned from - rental income / maturity of bank fixed deposit / dividends from bonds	10,000
I.3	Sale of old motorcycle / fridge, etc.	75,000
I.4	**Total**	**1,85,000**

S.No.	Items	Expenditure (in Rs.)
E.1	Rent	40,000
E.2	Transportation - fuel costs / bus fare / train fare / auto rickshaw costs	10,000
E.3	Groceries	25,000
E.4	Utilities - Electricity, Water, Cooking Gas, Internet, Phone	15,000
E.5	Purchase new appliance / good e.g. phone, fridge, washing machine, TV, etc	35,000
E.6	Medical expenses	13,000
E.7	**Total**	**1,38,000**

1 न्याय के लिए बजट: इस अध्ययन में 11 राज्यों द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए किए गए बजट आवंटन और इसके ख़र्च का विश्लेषण किया गया है। ये 11 राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर देश के सबसे धनी राज्यों में शामिल हैं और इनकी न्यूनतम आबादी एक करोड़ है। यह अध्ययन राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के बजट दस्तावेजों पर आधारित है। गृह मंत्रालय जहां पुलिस, जेल, फ़ॉरेंसिक और अभियोजन के लिए बजट आवंटित करता है, वहीं विधि एवं न्याय मंत्रालय- न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता और महाधिवक्ता कार्यालय के लिए बजट देता है। राज्य मानवाधिकार आयोगों को इन दोनों मंत्रालयों में से किसी एक से बजट आवंटन प्राप्त होता है। यह विश्लेषण निम्नलिखित ग्यारह राज्यों के वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेजों पर आधारित है: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

आया वास्तविक व्यय दो वर्ष बाद उपलब्ध होता है क्योंकि सभी बजट दस्तावेजों को ऑडिट करने में काफ़ी समय लगता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेज़ में ये बिंदु होंगे:

1. BE - अप्रैल (2024-25)

2. BE - अप्रैल (2023-24)

3. RE - अगस्त (2023-24)

4. AE - मार्च (2022-23)

2. राजकोषीय घाटा

जब आय से अधिक व्यय हो, तो बजट **अधिशेष** माना जाता है, जब दोनों बराबर हों, तो इसे **संतुलित** कहा जाता है और जब व्यय कुल आय से अधिक हो, तो इसे **घाटे का बजट** माना जाता है। । सरल शब्दों में, राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक ख़र्च करने की योजना बना रही है। बजट घाटा आम है और ऐसा वर्षों तक जारी रह सकता है। भारत सरकार हर साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करती है ताकि इसे देश की GDP के एक निश्चित प्रतिशत के भीतर रखा जा सके। वर्तमान में, यह GDP[2] का 5.1 प्रतिशत है।

कुछ आर्थिक सिद्धांतों के मुताबिक राजकोषीय घाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जैसे कार्यों पर सरकारी ख़र्च बढ़ने का संकेत देता है और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसे चुनौतीपूर्ण

चित्र 2: बजट का सार- भारत की सरकार का केंद्रीय बजट - 2025-26[3]

बजट का सार

BUDGET AT A GLANCE

2025-2026

बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया होता है ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। इस दस्तावेज में भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ राजकोषीय घाटा (एफडी), राजस्व घाटा (आरडी), प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) दर्शाया जाता है। ग्राफ और इन्फो-ग्राफिक्स के माध्यम से प्राप्तियों के स्रोतों और उनके व्यय का चित्रात्मक ब्यौरा दिया जाता है। इसके अलावा, इस दस्तावेज में राज्यों और विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित किए गए संसाधनों, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए किए गए आवंटनों का सारांश और घाटे के वित्तपोषण के स्रोतों से संबंधित ब्यौरा शामिल होता है।

2. राजकोषीय घाटा (एफडी), कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। (ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर)/राजकोषीय घाटा (एफडी), सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। राजस्व घाटे (आरडी) का अर्थ, राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना है। प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी), राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला जाता है। प्रभावी पूंजीगत व्यय (एफ-कैपेक्स) का अर्थ, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान का जोड़ है।

3. इस दस्तावेज में वर्णित प्राप्तियां और व्यय, प्राप्ति बजट (अनुबंध-3) और व्यय की रूपरेखा दस्तावेज (विवरण सं.17) में दिए गए मिलान संबंधी विवरण में यथा स्पष्ट प्राप्तियों और वसूलियों के निवल हैं।

Budget at a Glance presents broad aggregates of the Budget for easy understanding. This document shows receipts and expenditure as well as the Fiscal Deficit (FD), Revenue Deficit (RD), Effective Revenue Deficit (ERD) and the Primary Deficit (PD) of the Government of India. It gives an illustrative account of sources of receipts and expenditure through graphs and info-graphics. In addition, the document contains details of resources transferred to the States and UTs with Legislature, extracts of allocations for programme and schemes, sources of deficit financing, etc.

2. Fiscal Deficit (FD) is the difference between total expenditure and total receipts (excluding Debt Capital Receipts). FD is reflective of the total borrowing requirement of Government. Revenue Deficit refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. Effective Revenue Deficit is the difference between Revenue Deficit and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets. Primary Deficit is measured as Fiscal Deficit less interest payments. Effective Capital Expenditure (Eff-Capex) refers to the sum of Capital Expenditure and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets.

3. The receipts and expenditure depicted in this document are net of receipts and recoveries as explained in the reconciliation statements provided in the Receipt Budget (Annex-3) and Expenditure

2 PIB (2024)। बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11,11,111 करोड़ आवंटित किए गए। इस लिंक पर उपलब्ध: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2001122&utm

3 भारत की संघीय राजकोषीय संरचना की विस्तृत समझ के लिए, कृपया अनुभाग 6 देखें।

समय में ज़रूरी भी माना जाता है क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां जारी रहती हैं, रोज़गार मिलता है और सबसे कमज़ोर आबादी को सुरक्षा मिलती है। लेकिन ऐसे में अक्सर कठिन समझौते करने पड़ते हैं।[4,5]

3. बजट के दो भाग: राजस्व और व्यय

एक परिवार जिस तरह अपनी आमदनी और ख़र्च के आधार पर बजट बनाता है, वैसे ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, सरकार अपने बजट में यह आकलन करती कि ख़र्च के लिए कितना धन उपलब्ध है, यह कहां से आएगा और संभावित ख़र्चे क्या होंगे। इन अनुमानों को अनुमानित राजस्व या आय और अनुमानित व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) आय पर एक नज़र

आय आवर्ती या एकमुश्त हो सकती हैं, जिन्हें कभी-कभी प्राप्तियां भी कहा जाता है। जैसे, वेतन आय का एक नियमित स्रोत है जबकि कार की बिक्री या फ़िक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी एकमुश्त मिलने वाला पैसा है। उसी प्रकार सरकार भी कर, डिविडेंड, मुनाफ़ा , टोल और लाइसेंस फ़ी आदि से आवर्ती आय अर्जित करती है। सरकार को ग़ैर-आवर्ती एकमुश्त आमदनी भी होती है, जैसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) की बिक्री से प्राप्त आय या किसी बॉन्ड की परिपक्वता/मैच्योरिटी पर अर्जित ब्याज।

राजस्व प्राप्तियां आंशिक रूप से कर और ग़ैर-कर - दोनों स्रोतों से प्राप्त होती हैं। कर का राजस्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर से आता है। करदाता प्रत्यक्ष कर का भुगतान सरकार को ख़ुद करता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार किसी और पर डाला जा सकता है। 2023-24 तक, कुल कर राजस्व में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 54.5 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 45.5 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों से सरकार की देनदारी नहीं बढ़ती या उसकी संपत्ति नहीं घटती है।

दूसरी ओर, **पूंजीगत प्राप्तियों** से सरकारी खज़ाने में पैसा तो आता है, लेकिन इससे देनदारियां भी पैदा हो सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई गिरवी रखकर लिया गया कर्ज व्यक्ति को उधार ली गई राशि चुकाने के लिए बाध्य करता है।

चित्र 3: सरकारी प्राप्तियों में राजस्व और पूंजी प्राप्तियां [7]

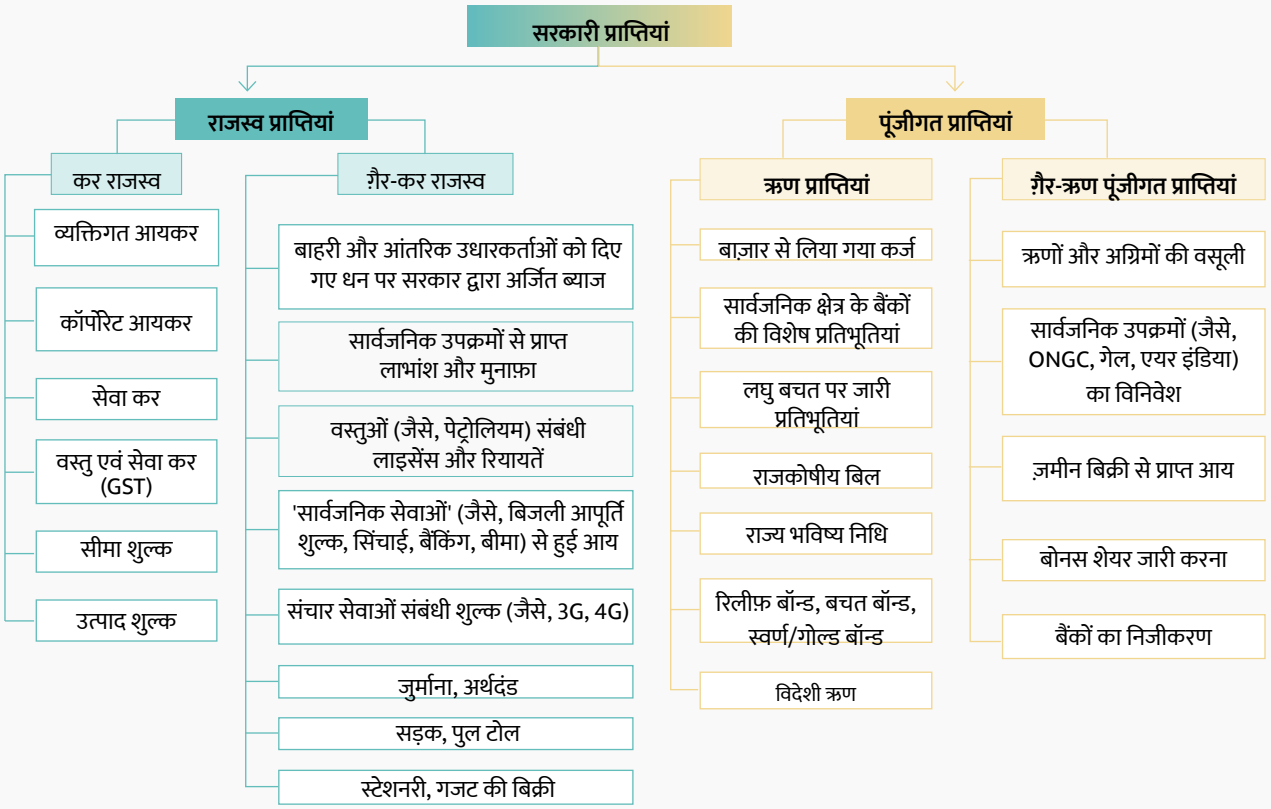

4 केंद्र सरकार की विभिन्न क्षेत्रवार प्राथमिकताओं का संक्षिप्त अवलोकन "मंत्रालयवार बजटीय प्रावधानों का सारांश" दस्तावेज़ में उपलब्ध है। इस लिंक पर उपलब्ध: www.indiabudget.gov.in

5 देश के कुल व्यय, कुल राजस्व, राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से संबंधित वार्षिक आंकड़े "बजट का सार" शीर्षक वाले एक पृष्ठ के दस्तावेज़ में संकलित किए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: www.indiabudget.gov.in

6 मुख्य शब्दों की विस्तृत शब्दावली अंत में प्रदान की गई है।

7 ग़ैर-कर राजस्व में सरकार को प्राप्त वह भुगतान शामिल होता है जो उसे व्यक्तियों/परिवारों या संस्थाओं को कुछ सेवाएं प्रदान करने से मिलता है।

उपकर और अधिभार

सरकारों को **उपकर** और **अधिभार** से भी राजस्व प्राप्त होता है।

उपकर किसी ख़ास उद्देश्य के लिए कर पर लगाया गया अतिरिक्त कर होता है। आयकर, GST या उत्पाद शुल्क के विपरीत, उपकर संग्रह का उपयोग केवल इसे लगाए जाने के ख़ास उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है न कि किसी अन्य मक़सद के लिए। यदि यह ख़र्च नहीं हो पाता, तो इसे अगले वर्ष में उपयोग करने के लिए हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। 2024 तक, केंद्र सरकार छह प्रकार के उपकर[8] एकत्र करती थी, जिनकी दर अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 4 प्रतिशत है। महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों के साथ उपकर राजस्व साझा करना, पूर्ण या आंशिक रूप से, अनिवार्य नहीं है।

अधिभार भी उपकर की तरह कर पर लगाया गया अतिरिक्त कर होता है, लेकिन इनमें साल-दर-साल के आधार पर बदलाव हो सकता है और ये एक समान रूप से नहीं लगाए जाते। अतिरिक्त राजस्व संग्रह के लिए, इन्हें केवल उच्च-आय वर्ग (व्यक्ति, कंपनी, फर्म) पर लगाया जाता है और इनकी दरें संस्था की आय या उसकी प्रकृति (जैसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या कंपनी) के आधार पर अलग-अलग होती हैं। केंद्र सरकार उपकर और अधिभार दोनों लगा सकती है और उसे इन्हें राज्य सरकारों के साथ साझा करना अनिवार्य नहीं है। अधिभार से प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकार अपनी इच्छानुसार कर सकती है। उपकर और अधिभार- दोनों भारत की समेकित निधि (CFI) में जमा किए जाते हैं।[9]

पूंजीगत प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं: ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और ग़ैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को भविष्य में वापस चुकाना पड़ता है और इससे सरकार पर कर्ज बढ़ता है। दूसरी ओर, ग़ैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से कर्ज में बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश या ऋणों और अग्रिमों की वसूली से हुई आय। पूंजीगत प्राप्तियों के कुछ उदाहरण हैं: सरकारी बॉन्ड के रूप में जनता से लिए गए ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से लिया गया उधार और विदेशों तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी संस्थाओं से लिया गया कर्ज। सरकार की बैलेंस शीट में, पूंजीगत प्राप्तियां देनदारियों वाले भाग में दिखाई देती हैं।

(ii) व्यय पर एक नज़र

आमदनी की तरह व्यय को भी कई तरीक़ों से वर्गीकृत किया जाता है ताकि धन का आवंटन और ख़र्च सुनिश्चित किया जा सके और उस पर विस्तार से नज़र रखी जा सके। जैसे, वेतन भुगतान आवर्ती व्यय के अंतर्गत आता है, जबकि एकमुश्त ख़र्च, जैसे कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जेल या पुलिस स्टेशन का निर्माण, ग़ैर-आवर्ती व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

चित्र 4: राजस्व और पूंजीगत व्यय के उदाहरण

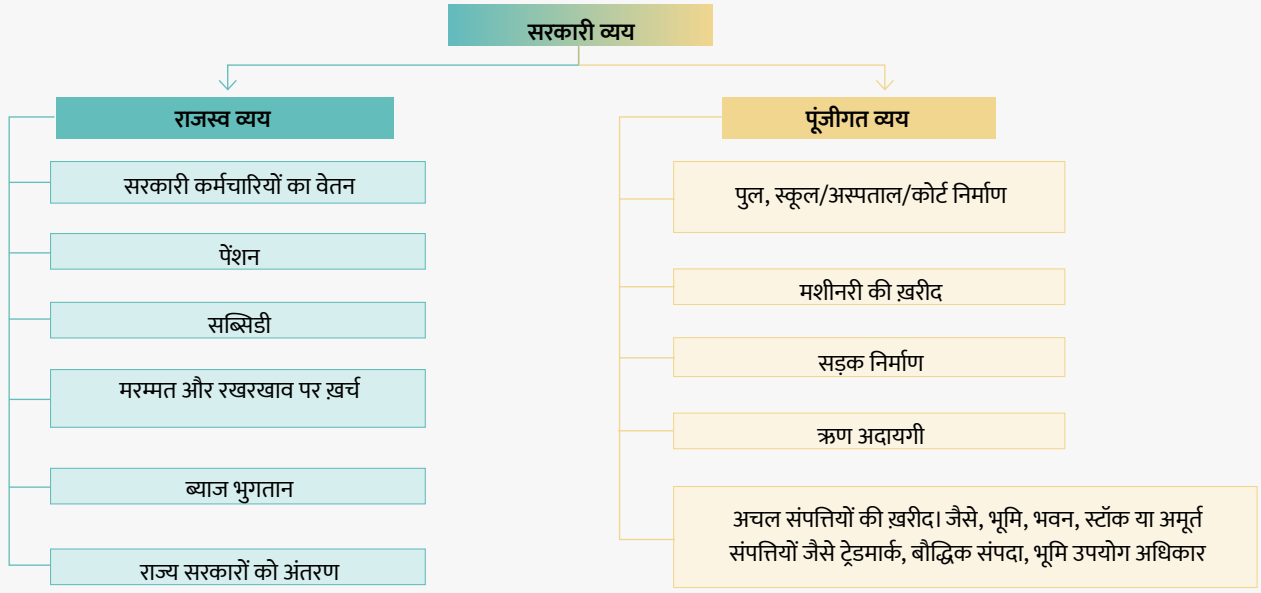

8 वर्तमान में, केंद्र सरकार छह प्रकार के उपकर लगाती है: प्राथमिक शिक्षा उपकर, माध्यमिक शिक्षा उपकर, कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर, सड़क उपकर, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) और आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर। जुलाई 2017 में GST लागू होने के साथ, कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, चाय, चीनी और जूट पर उपकर आदि सहित कई उपकर GST में सम्मिलित कर दिए गए।

9 डेक्कन हेराल्ड। 2024. केंद्रीय बजट 2024. सरचार्ज क्या है? इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.deccanherald.com/business/union-budget/union-budget-2024-what-is-a-surcharge-2864746](https://www.deccanherald.com/business/union-budget/union-budget-2024-what-is-a-surcharge-2864746

व्यय को राजस्व या पूंजीगत व्यय के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, जो इस पर निर्भर करता है कि व्यय से परिसंपत्तियां बढ़ती हैं या देनदारियों में कमी आती है। इन्हें ग़ैर-आवर्ती (एकमुश्त) या आवर्ती (नियमित) व्यय के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

4. स्वीकृत या अभिभारित व्यय

संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत बजट आगामी वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित राजस्व संग्रह और व्यय का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है।

स्वीकृत व्यय के उदाहरण

- पुलिस योजना का आधुनिकीकरण
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) की स्थापना
- जेल परियोजना का आधुनिकीकरण
- 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' के लिए आवंटन

स्वीकृत व्यय उस सरकारी ख़र्च को कहा जाता है जिसके लिए संसद (केंद्रीय स्तर पर) या राज्य विधानमंडल (राज्य स्तर पर) से बजट प्रक्रिया के दौरान मतदान द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। प्रत्येक मंत्रालय और योजना की आवश्यकताओं को दर्शाने वाली अनुदान की मांग को विधायकों द्वारा मतदान कर स्वीकृत या पारित करना होता है। सरकार इस व्यय को तब तक ख़र्च नहीं कर सकती जब तक कि विधानमंडल इसे हर वर्ष स्पष्ट रूप से मंज़ूरी न दे।

अभिभारित व्यय पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे सरकार का 'प्रभार' या स्थाई दायित्व माना जाता है और बजट पारित हो या न हो, इसका भुगतान करना ही होता है। यह विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारों के लिए आवश्यक धनराशि सुरक्षित रखता है। केंद्र सरकार के अभिभारित व्यय की जानकारी 'व्यय विवरण दस्तावेज़ के कथन-14' में उपलब्ध है।

5. भारत में सरकारी खातों की संरचना

संविधान के अनुसार सरकार के लिए तीन अलग-अलग खाते रखना अनिवार्य है: 'भारत की समेकित निधि', 'आकस्मिकता निधि' और 'भारत का लोक लेखा'।

सभी राजस्व प्राप्तियां, लिए गए ऋण और ऋणों की अदायगी से केंद्र सरकार को मिली धनराशि **भारत की समेकित निधि**[10] में जमा की जाती है और सभी सरकारी व्यय इसी निधि से ख़र्च किए जाते हैं। इसी तरह, राज्य स्तर पर व्यय राज्य की समेकित निधि से किए जाते हैं।

आकस्मिकता निधि[11] से सरकार ऐसे अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करती है जिनके लिए संसद की मंज़ूरी की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। आपातस्थितियों से निपटने के लिए इस निधि से तत्काल अग्रिम उपलब्ध कराया जाता है और बाद में इस बारे में विधानमंडल को सूचित किया जाता है तथा समेकित निधि से इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

भारत का लोक लेखा[12], सरकार द्वारा ट्रस्ट में रखा संग्रहित कोष होता है। यह सरकार का धन नहीं होता, बल्कि वह एक बैंकर के रूप में कार्य

अभिभारित व्यय के उदाहरण

- राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते (राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते भी अभिभारित व्यय होते हैं, लेकिन ये राज्य की समेकित निधि से ख़र्च किए जाते हैं)
- राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते (राज्यों में, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, और विधान परिषद वाले राज्य में, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी अभिभारित होते हैं, लेकिन राज्य की समेकित निधि से ख़र्च किए जाते हैं)
- सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन, भत्ते और पेंशन
- हाई कोर्ट्स जजों की पेंशन (हाई कोर्ट्स जजों के वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से 'अभिभारित' होते हैं)
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वेतन, भत्ते और पेंशन
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन
- ऋण प्रभार जिनकी देनदारी सरकार पर है
- किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी निर्णय, आदेश या पंचाट को लागू करने के लिए ज़रूरी राशि
- संसद द्वारा घोषित कोई अन्य व्यय भी अभिभारित होते हैं

10 संविधान का अनुच्छेद 266(1)
11 संविधान का अनुच्छेद 267
12 संविधान का अनुच्छेद 266(1)

चित्र 5: सरकारी खातों की संरचना

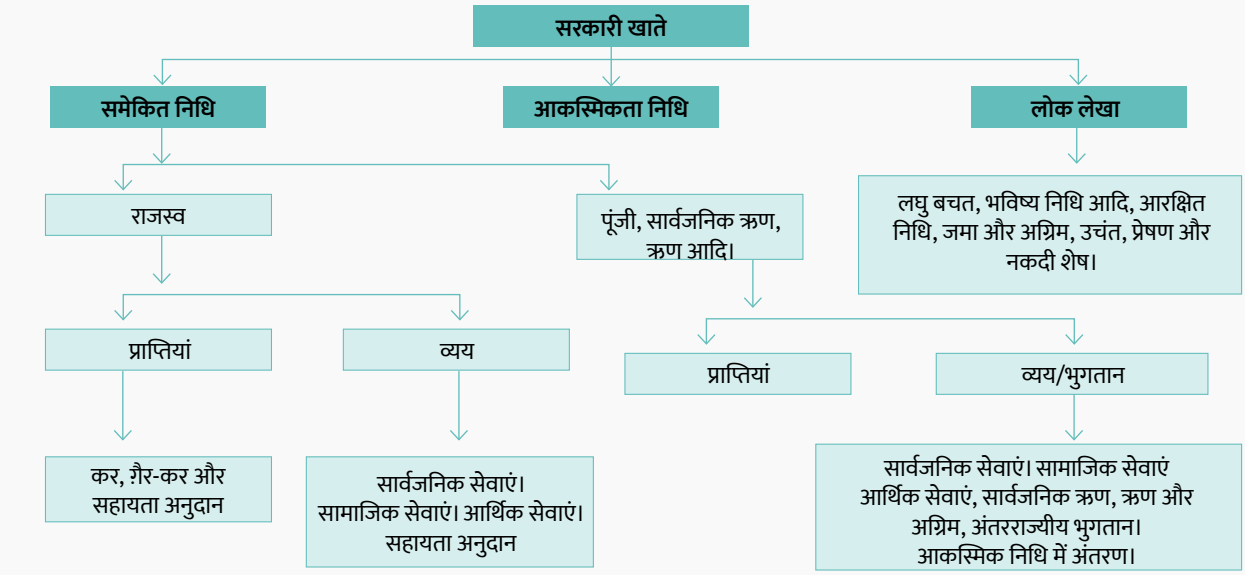

करती है। उसका दायित्व होता है कि वह इस कोष में राशि जमा करने वाले व्यक्तियों/प्राधिकरणों को जमा राशि लौटाए। इसमें लोक भविष्य निधि, लघु बचत संग्रह, डाक बीमा, राष्ट्रीय लघु बचत रक्षा कोष, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बैंक बचत खाते शामिल हैं। भारत के लोक लेखा से होने वाले व्यय के लिए विधायी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है।

6. सरकारी अकाउंटिंग का छह-स्तरीय कोड

सरकारी अकाउंटिंग की एक सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि सभी वित्तीय लेन-देनों का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है। जहां CAG सरकारी लेखांकन के सार्वजनिक सिद्धांत तय करता है, वहीं महालेखा नियंत्रक (CGA) का कार्य सरकार के लिए तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत आने वाला CGA केंद्र सरकार का लेखा भी तैयार और प्रस्तुत करता है।

CAG कार्यालय की देखरेख में **राज्य सरकार का लेखा** तैयार होता है और इसकी जांच कर इसे विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार किया जाता है।

प्राप्तियां हों या भुगतान, सभी लेन-देन को छह-स्तरीय कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर मुख्य मद में सरकार के व्यापक कार्य और सबसे नीचे विषय मद में गतिविधि का विवरण रहता है। बीच के स्तरों में उप-कार्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं

चित्र 6: सरकारी अकाउंटिंग का छह स्तरीय वर्गीकरण

राज्यों द्वारा अपनाया जाने वाला लेनदेन के वर्गीकरण का तरीक़ा

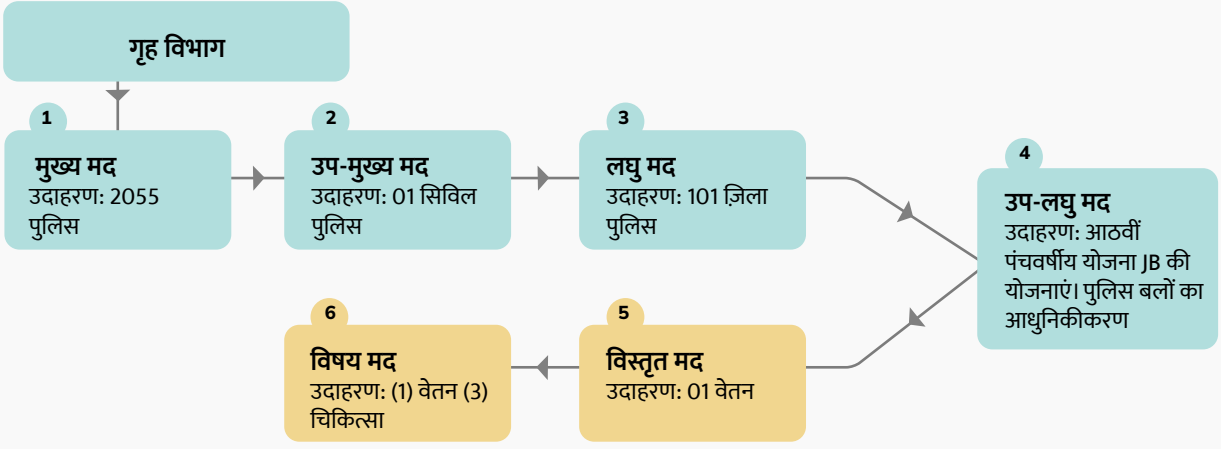

चित्र 7: पुलिस आधुनिकीकरण योजना, उत्तर प्रदेश, गृह विभाग (पुलिस) का छह-स्तरीय वर्गीकरण (लाख रुपए में)

अनुदान संख्या	मुख्य मद	उप-मुख्य मद	लघु मद	उप-लघु मद	स्पेशल कोड	2021-22 (AE)	2022–23 (BE)	2022–23 (RE)	2023–24 (BE)
26	2055 पुलिस	0	115 पुलिस आधुनिकीकरण योजना	03 व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा	0	6,288.81	9,736.18	8,316.06	12,995.41

और उप-योजनाओं का वर्णन रहता है।

1 अप्रैल 1987 से, मुख्य मदों के लिए चार अंकों का कोड नियत किया गया है। पहला अंक यह दर्शाता है कि मुख्य मद प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय या ऋण मद में से कौन सी मद है।

यदि मुख्य मद का पहला अंक '0' या '1' है, तो लेखा मद राजस्व प्राप्ति का विवरण प्रस्तुत करेगी; इसी तरह '2' या '3' राजस्व व्यय; '4' या '5' पूंजीगत लेखा; '6' या '7' ऋण और अग्रिम; और '8' या '9' लोक लेखा का विवरण प्रस्तुत करेगी।

उदाहरण के लिए, पुलिस के अंतर्गत:
0055 - राजस्व प्राप्तियां
2055 - राजस्व व्यय
4055 - पूंजीगत व्यय

चित्र 7 में यह बताया गया है कि न्याय प्रणाली से संबंधित किसी विशिष्ट कार्यक्रम पर छह-स्तरीय वर्गीकरण कैसे लागू होता है। जैसे, उत्तर प्रदेश के पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना, गृह विभाग (पुलिस) (लाख रुपए में)

पहला स्तर मुख्य मद, जिसे तालिका में कोड 2055 दिया गया है यानी कि यह पुलिस के लिए राजस्व व्यय है। दूसरा स्तर उप-मुख्य मद का है, जो यह बताता है कि यह एक कार्यक्रम है या नहीं।

तीसरे स्तर पर लघु मद है। इस उदहारण में यह कार्यक्रम का नाम है, अर्थात पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना। चौथा स्तर, जिसे उप-लघु मद के रूप में जाना जाता है, कार्यक्रम/योजना के बारे में अन्य विवरण उपलब्ध कराता है, जैसे कि 'राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया व्यय'। पांचवां स्तर विस्तृत मद है, इस उदहारण में एक स्पेशल कोड, जो व्यय के विवरण के बारे विस्तार से बताता है। छठा और अंतिम स्तर विषय मद है जिसमें व्यय की विशिष्ट मदों को सूचीबद्ध किया जाता है, जैसे यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता और वेतन।

IJR 'न्याय के लिए बजट' के लिए, बजट दस्तावेजों का पांचवें स्तर तक विश्लेषण किया गया है।

चित्र 8: बजट चक्र

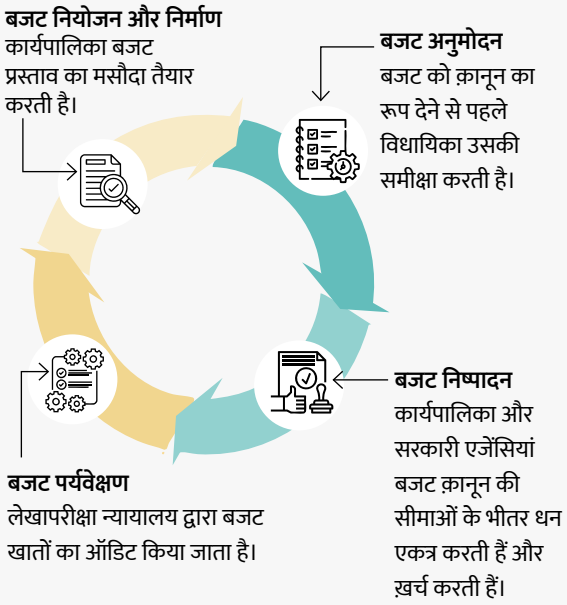

7. बजट चक्र

भारत का केंद्रीय बजट देश का वार्षिक बजट होता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' भी कहा गया है। चार चरण/प्रक्रियाओं से गुजर कर बजट तैयार होता है। चूंकि भारत में त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली वाली संघीय संरचना है, इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय ,स्तर पर अलग-अलग बजट प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। हालांकि, इन तीनों का वित्तीय वर्ष एक समान होता है, जो अप्रैल से मार्च तक चलता है।

(i) बजट नियोजन

भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए, अगस्त-सितंबर के आसपास, केंद्रीय वित्त मंत्रालय बजट सर्कुलर जारी करता है, जिसमें

प्रत्येक मंत्रालय से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलन भेजने का अनुरोध किया जाता है।

ये प्राक्कलन प्रस्तावित आवंटन होते हैं जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय पिछले वर्षों के व्यय के आधार पर अंतिम रूप देते हैं। आमतौर पर, ये पिछले वर्ष के परिव्यय से 10 प्रतिशत अधिक होते हैं। बड़ी वृद्धि या कटौती सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाती है।

अक्टूबर-नवंबर तक, मंत्रालय अपने प्राक्कलन वित्त मंत्रालय (MoF) को भेज देते हैं। इसके बाद, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) का बजट प्रभाग संसद में प्रस्तुत करने के लिए बजट को समेकित करता है।

अगले दो महीनों यानी दिसंबर तक, वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा करता है। साथ ही यह अन्य हितधारकों, जैसे चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, ट्रेड यूनियनों, किसान व नागरिक संगठनों के साथ उनकी मांगों और अनुरोधों पर चर्चा के लिए बजट-पूर्व परामर्श भी आयोजित करता है।

व्यय प्राक्कलन तैयार होने के बाद, जनवरी के मध्य तक वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के साथ बैठक कर बजट प्राप्तियां प्रस्तावित करता है। जनवरी के अंत तक, मंत्रिपरिषद द्वारा अस्थायी बजट को मंजूरी दे दी जाती है और बजट दस्तावेज़ छपने के लिए भेज दिया जाता है।

राज्य सरकारें भी राज्य विधानसभाओं में अपना बजट पेश करने से पहले इसी प्रक्रिया का पालन करती हैं।

चित्र 9: केंद्र सरकार के स्तर पर बजट की समय-सारणी

तैयारी

अगस्त - सितंबर 2020
बजट सर्कुलर की अधिसूचना (प्रकाशन)

अक्टूबर - नवंबर 2020
प्रत्येक मंत्रालय अपने बजट अनुमान वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग को उपलब्ध कराता है।

नवंबर - दिसंबर 2020
वित्त मंत्रालय और व्यय करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के बीच बैठकें।

वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न समूहों/ हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श।

जनवरी 2021, प्रारंभ से मध्य तक
वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट प्राप्ति तैयार करता है।

जनवरी 2021, मध्य से अंत तक
मंत्रिपरिषद से अनंतिम बजट को मंज़ूरी मिलती है और बजट दस्तावेज़ों की छपाई होती है।

अधिनियमन

1 फ़रवरी, 2021
वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है।

फरवरी - मार्च 2021
वित्त मंत्री द्वारा संसद में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक का प्रस्तुतीकरण। संसद में बजट पर चर्चा।

मार्च 2021
वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर मतदान।

कार्यान्वयन

अप्रैल 2021 - मार्च 2022
सरकार बजट अनुमोदन के अनुसार धन एकत्र और व्यय करती है।

ऑडिट

अप्रैल 2022 - मार्च 2023
CAG कार्यालय द्वारा विभिन्न व्यय और प्राप्ति प्रस्तावों का ऑडिट।

लेखापरीक्षक वित्तीय और निष्पादन रिपोर्ट तैयार करते हैं।

लोक लेखा समितियों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच की जाती है।

चित्र 10: राज्य सरकार के स्तर पर बजट की समय-सारणी

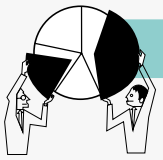

बजट निर्माण

सितंबर 2020
बजट सर्कुलर का प्रकाशन: बजट सर्कुलर प्रकाशित कर वित्त विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान और चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने का निर्देश देता है।

नवंबर 2020
बजट अनुमानों का निर्धारण: बजट अनुमान निर्धारित कर एकीकृत प्रबंधन वित्तीय प्रणाली (IMFS) पर अपलोड किए जाते हैं, जहां विभागों के प्रमुख इसकी जांच-पड़ताल करते हैं। इसके बाद इन अनुमानों को प्रशासनिक विभागों और आख़िर में अंतिम संकलन के लिए वित्त विभाग को भेजा जाता है।

नवंबर/दिसंबर 2020 - जनवरी 2021
वित्त विभाग द्वारा बजट निश्चय समितियों के साथ विभिन्न दौर की चर्चाओं के बाद अलग-अलग विभागों द्वारा तैयार बजट अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाता है।

अधिनियमन

फरवरी - मार्च 2021
वित्त मंत्री द्वारा राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है जिसके बाद संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार चर्चा और मतदान होता है।

कार्यान्वयन

अप्रैल 2021 - मार्च 2022
योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए धनराशि वितरित की जाती है, जिसके बाद उनके उपयोग और योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का यथा समय अनुश्रवण किया जाता है।

ऑडिट

अप्रैल 2022 से
राज्य सरकार के मासिक लेखों के संकलन और राज्य कोषागारों के निरीक्षण की ज़िम्मेदारी महालेखाकार कार्यालय की होती है, जिसके लिए यह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बजट नियंत्रक अधिकारियों से जानकारी एकत्र करता है। महालेखाकार का कार्यालय व्यय की गई धनराशि का ऑडिट करता है तथा अनियमितताओं को उजागर करते हुए उचित कार्रवाई के लिए अलग-अलग ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है।

(ii) बजट अधिनियमन/अनुमोदन:

केंद्र सरकार के स्तर पर, बजट को अप्रैल में लेखा वर्ष शुरू होने से पहले विधायिका अर्थात् संसद में बजट सत्र के दौरान फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं राज्य विधानसभाओं में दो मदों- **वित्त विधेयक** और **विनियोग विधेयक**, के अनुमोदन हेतु बजट प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त और विनियोग विधेयक क्रमशः यह बताते हैं कि पैसे कहां से प्राप्त होंगे और कहां ख़र्च किए जाएंगे। विधानमंडल द्वारा कराधान/कर लगाने और अन्य माध्यमों से प्राप्त राजस्व के स्रोतों के साथ-साथ भारत की समेकित निधि से व्यय का भी अनुमोदन किया जाना चाहिए।

बजट सत्र के दौरान, अलग-अलग विशिष्ट समितियां, **जिन्हें विभाग-संबंधित स्थायी समितियां** (DRSC) कहा जाता है एवं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, बजट प्रस्तावों और क्षेत्र-विशिष्ट प्रस्तावों की जांच करने में संसद की सहायता करती हैं। इसके बाद, वे कार्यक्रम कार्यान्वयन संबंधी विधायी पर्यवेक्षण भी प्रदान करती हैं। वर्तमान में, संसद में 24 विधायी समितियां हैं। [13]

न्याय क्षेत्र[14] से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित समितियां हैं

- गृह विभाग संबंधी समिति
- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभाग संबंधी समिति
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संबंधी समिति

13 लोकसभा सचिवालय। संसदीय समिति। इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/ls/committee/introduction
14 इन तीनों समितियों द्वारा हाल में प्रस्तुत रिपोर्टों के नाम और विवरण अनुलग्नक (i) में दिए गए हैं।

इसके अलावा[15], एक **प्राक्कलन समिति** भी होती है, जिसका गठन पहली बार 1950 में किया गया था। इस समिति के 30 सदस्यों का चुनाव हर साल लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है। यह सिर्फ़[16] एक सलाहकार समिति होती है।

बजट अधिनियमन तब पूरा माना जाता है जब विधानमंडल वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर मतदान कर देता है, जो कि आमतौर पर मार्च के अंत तक होता है।

(iii) बजट निष्पादन/कार्यान्वयन

बजट पारित होने के बाद, संबंधित मंत्रालय और विभाग योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि जारी करना शुरू कर देते हैं। पहली किस्त वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल में जारी की जाती है, लेकिन शेष धनराशि का जारी किया जाना मंत्रालयों और विभागों द्वारा विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है, जैसे- जारी धनराशि के ख़र्च का **उपयोगिता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना। भुगतान के प्रत्येक चरण में नोडल मंत्रालय, ज़िले, प्रखंड से लेकर गांव तक से संबंधित कड़ी शर्तें होती हैं। इन कड़ी शर्तों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में देरी के कारण अक्सर भुगतान में वित्तीय वर्ष के अंत तक की देरी हो सकती है। इन सबसे कार्यक्रम वितरण और कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है।

यदि किसी वित्तीय वर्ष में पूर्व-आवंटित स्वीकृत राशि बार-बार ख़र्च नहीं की जाती है, तो ऐसे में वित्त मंत्रालय आगामी वर्ष में बजट में कटौती करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालांकि ऐसा कभी-कभी ही होता है। अवास्तविक प्राक्कलन के आधार पर तैयार योजना, जटिल आंतरिक प्रक्रियाएं, योजना दिशानिर्देशों या विशिष्ट ख़रीद प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करना या मानव संसाधन की कमी- ये सारे स्वीकृत राशि के कम उपयोग के कारण हो सकते हैं। सही कारण या कारणों का पता ऑडिट, बजट चक्र का अंतिम चरण, के दौरान चलता है।

(iv) बजट पर्यवेक्षण/ऑडिट

केंद्र में CAG या राज्य में महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा सभी सरकारी अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है और वे अपने निष्कर्ष और सिफ़ारिशें राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन्हें संसद और विधानसभाओं में पेश करते हैं। इन सबके बाद बजट चक्र पूरा होता है।

तीन प्रकार का ऑडिट किया जाता है: वित्तीय, नियमितता (अनुपालन) और निष्पादन। वित्तीय ऑडिट वित्तीय विवरणों की समीक्षा करके यह प्रमाणित करता है कि रिपोर्टिंग और प्रकटन के स्वीकार्य लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है या नहीं। अनुपालन ऑडिट यह जांच करता है कि क्या धनराशि प्रासंगिक क़ानूनों, नियमों और विनियमों के अनुरूप और विधायिका द्वारा अधिकृत तरीक़े से ख़र्च की गई। निष्पादन ऑडिट यह मूल्यांकन करता है कि क्या कार्यक्रमों और योजनाओं ने न्यूनतम लागत पर अपने उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया है और क्या उनका लाभ उनके इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचा है। केंद्र और राज्य- दोनों के सभी ऑडिट रिपोर्ट और लेखा दस्तावेज़ सिर्फ़ CAG की वेबसाइट (www।cag।gov।in) पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

वास्तविक राजस्व और व्यय की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट 18 महीने से दो साल के अंतराल के बाद ही उपलब्ध हो पाती है। एक वित्तीय वर्ष के बजट का ऑडिट, इसके 2 साल बाद के केंद्रीय या राज्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे, 2021-22 का वास्तविक व्यय साल 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत किया गया।

किसी भी वित्तीय वर्ष में, CAG संसद में कई ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है। **CAG ने 2014 से 2018 के बीच 40 रिपोर्ट; 2019 से 2023 के बीच 22 रिपोर्ट और 2023 में केवल 18[17] रिपोर्ट पेश कीं। ये रिपोर्ट्स काफ़ी विस्तृत और इनमें ढेर सारे विवरण होते हैं, इस कारण पूरी विधायिका द्वारा इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना जटिल और बहुत समय लेने वाला हो सकता है। नतीज़तन, लोक लेखा समितियों (PAC) को विस्तृत जांच की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। PAC सार्वजनिक वित्त संबंधी उन अनियमितताओं की भी जांच कर सकती है जो सरकार के संज्ञान में तो लाई गई हैं लेकिन अभी तक जिनका ऑडिट नहीं किया गया है।**

2011-12 से 2018-19 तक की गई PAC सिफ़ारिशों के स्वतंत्र विश्लेषण से पता चलता है कि हर साल की गई सिफ़ारिशों में से औसतन 80 प्रतिशत सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गईं।

15 सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति सार्वजनिक उपक्रमों के खातों की विश्वसनीयता और दक्षता की अनुवीक्षण करती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। अन्य कार्यों के अलावा, इन्हें यह जांच करने का दायित्व सौंपा गया है कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन समुचित व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार किया जा रहा है।

16 प्राक्कलन समिति के कार्य हैं:
(क) यह विवरण देना कि अनुमानों में निहित नीति के अनुरूप क्या ख़र्च में कमी, संगठनात्मक सुधार, दक्षता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं;
(ख) प्रशासन में दक्षता लाने और मितव्ययिता के लिए वैकल्पिक नीतियां प्रस्तावित करना;
(ग) यह जांच करना कि क्या धनराशि प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर उचित रूप से निर्धारित की गई है; और
(घ) यह सुझाव देना कि संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत किए जाएं।

17 जैसमिन निहलानी (2023). केंद्रीय सरकार पर CAG द्वारा किए गए ऑडिट्स की संख्या संसद में प्रस्तुत होने के मामले में 2023 में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.thehindu.com/data/data-number-of-cag-audits-on-union-govt-tabled-in-parliament-hits-a-low-in-2023/article67657227.ece

चित्र 11:CAG ऑडिट के प्रकार [19]

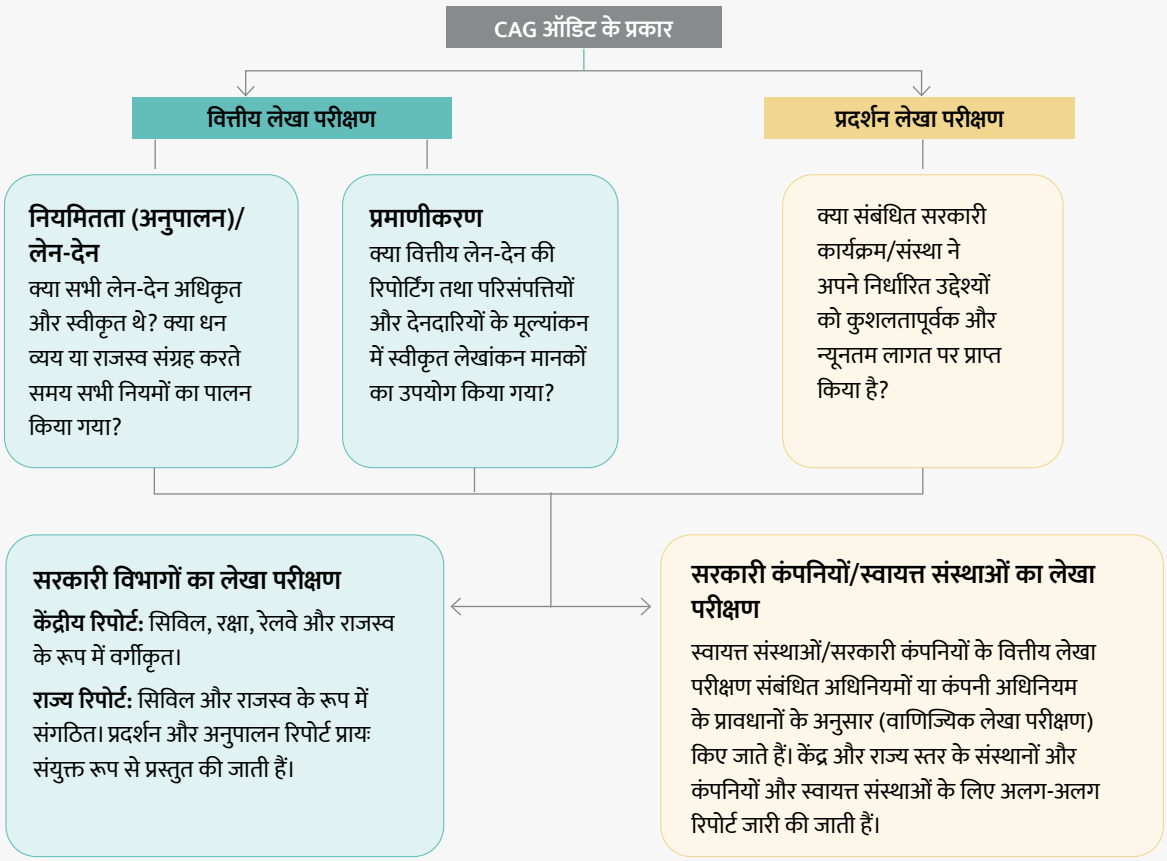

उदाहरण

वर्ष 2020 की रिपोर्ट संख्या- 15 दिल्ली पुलिस में **मानव संसाधन और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन का प्रदर्शन ऑडिट** में यह जांचा गया है कि दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की उपयुक्तता का कितने प्रभाव और कुशलता से प्रबंधन किया है।

2019 की रिपोर्ट संख्या 1 में **महाराष्ट्र सरकार के महत्वपूर्ण और सामाजिक क्षेत्र- महाराष्ट्र में जेल और सुधार गृहों के प्रशासन का वार्षिक प्रदर्शन का ऑडिट** किया गया है। इसमें फ़ंड प्रबंधन, क़ैदियों की सुरक्षित और संरक्षित हिरासत, नियमों के अनुसार क़ैदियों को प्रदान की गई सुविधाएं और विशेषाधिकारों के अलावा क़ैदियों के लिए रोजगार, सुधार और पुनर्वास जैसी अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं।

हालांकि, सत्र की शुरुआत में ही विधायिका को ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, कार्यपालिका द्वारा इसके संबंध में अक्सर देर की जाती है। स्वतंत्र विश्लेषकों[18] ने लगातार बढ़ती देरी की चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है। जहां रिपोर्ट, विशेष रूप से कार्य-निष्पादन रिपोर्ट, के संबंध में बहुत ज़्यादा देर की जाती है, वहीं ख़राब कार्य-निष्पादन के कारणों पर बहस अनिवार्य रूप से प्रभावी नहीं रह जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई का समय बीत जाता है।

8. शासन के स्तर और बजट का प्रवाह

(i) शासन के तीन स्तर:

संघवाद भारतीय संविधान की एक बुनियादी ख़ासियत है। सरकार की संघीय संरचना केंद्रीय सत्ता (संघ स्तर) और क्षेत्रीय सरकारों (राज्यों और स्थानीय स्तरों) को एक ही राजनीतिक व्यवस्था में एकीकृत करती है और इन तीनों स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है।

यह व्यवस्था संघ, प्रत्येक राज्य और स्थानीय सरकारों को उनके अनन्य या समवर्ती क्षेत्राधिकार[20] के अंतर्गत आने वाले विषयों पर वित्तीय शक्तियां प्रदान करती है और उनकी ज़िम्मेदारियां तय करती हैं। साथ ही, यह सभी को इस संबंध में वार्षिक बजट तैयार करने का अधिकार देती

18 हिमांशु उपाध्याय और अभिषेक पुनेठा, 'टेबलिंग ऑफ़ CAG रिपोर्ट्स इन पार्लियामेंट इज फ़्रीक्वेंटली बीइंग डिलेड, हेल्पिंग गवर्नमेंट एवेड स्क्रूटिनी', स्क्रॉल.इन, इस लिंक पर उपलब्ध: https://scroll.in/article/967903/tabling-of-cag-reports-in-parliament-is-frequently-being-delayed-helping-government-evade-scrutiny

19 अविनाश सेलेस्टाइन। सरकार को जवाबदेह बनाना: CAGरिपोर्टों का परिचय, अप्रैल, 2008. इस लिंक पर उपलब्ध: https://prsindia.org/files/policy/policy_primer/CAG%20primer.pdf

20 संविधान का अनुच्छेद 246.

है कि वे कैसे धन जुटाएंगे, उसका व्यय करेंगे और जनता को उसका लेखा-जोखा देंगे। तीसरे या स्थानीय सरकार के स्तर पर, संविधान[21] 29 विषयों के लिए स्थानीय निकायों को वित्त हस्तांतरित करता है; हालांकि, वास्तविक हस्तांतरण की स्थिति राज्यों में अलग-अलग होती है।[22]

न्याय प्रदान करने वाले विषयों में, **पुलिस और जेल** केवल राज्य सूची के तहत आते हैं, जबकि **न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता** समवर्ती सूची का हिस्सा हैं।

(ii) भारतीय वित्त आयोग (FC)

FC एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1951[23] में पांच वर्षों के लिए की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट[24] 2021 से 2026 तक मान्य है। 16 वें वित्त आयोग की घोषणा साल 2023 के अंतिम दिन की गई थी।[25]

वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय कर संग्रह के बंटवारे के संबंध में राष्ट्रपति को सुझाव देना है। प्रत्येक राज्य का हिस्सा छह मानदंडों पर निर्भर करता है: जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, आय का अंतर, कर और राजकोषीय प्रयास, और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन। इनमें से हर मानदंड को अपना ख़ास महत्व है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि केंद्र 2021-22 से 2025-26 के बीच अपनी कर प्राप्ति का 41 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा करे। (कर हस्तांतरण के राज्यवार विवरण के लिए चित्र 12 देखें)।

ये गणनाएं केंद्र और राज्य के बीच ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए तैयार की गई हैं, जो उनके राजस्व और व्यय के बेमेल होने के कारण पैदा होता है। जैसे, राज्य कुल राजस्व का केवल 37.3 प्रतिशत ही एकत्र करते हैं, लेकिन व्यय का बड़ा हिस्सा, 62.4 प्रतिशत, वहन करते हैं।

वित्त आयोगों के आवंटन राज्यों के बीच मौजूद क्षैतिज असमानताओं को भी दूर करते हैं, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे राज्यों से अधिक धनी हैं, जिनके पास आवश्यक राज्य व्यय के लिए धन जुटाने हेतु राजस्व के स्रोत या संस्थागत क्षमता नहीं हो सकती है।

चित्र 12: राज्यवार कर हस्तांतरण का विवरण

	राज्य का करों में हिस्सा (%)		
	14 वां वित्त आयोग (2015–20)	15 वां वित्त आयोग (2020–21)	15 वां वित्त आयोग (2021–26)
आंध्र प्रदेश	4.305	4.111	4.047
अरुणाचल प्रदेश	1.370	1.760	1.757
असम	3.311	3.131	3.128
बिहार	9.665	10.061	10.058
छत्तीसगढ़	3.080	3.418	3.407
गोवा	0.378	0.386	0.386
गुजरात	3.084	3.398	3.478
हरियाणा	1.084	1.082	1.093
हिमाचल प्रदेश	0.713	0.799	0.830
जम्मू-कश्मीर	1.854	-	-
झारखंड	3.139	3.313	3.307
कर्नाटक	4.713	3.646	3.647
केरल	2.500	1.943	1.925
मध्य प्रदेश	7.548	7.886	7.850
महाराष्ट्र	5.521	6.135	6.317
मणिपुर	0.617	0.718	0.716
मेघालय	0.642	0.765	0.767
मिज़ोरम	0.460	0.506	0.500
नगालैंड	0.498	0.573	0.569
ओडिशा	4.642	4.629	4.528
पंजाब	1.577	1.788	1.807
राजस्थान	5.495	5.979	6.026
सिक्किम	0.367	0.388	0.388
तमिलनाडु	4.023	4.189	4.079
तेलंगाना	2.437	2.133	2.102
त्रिपुरा	0.642	0.709	0.708
उत्तर प्रदेश	17.959	17.931	17.939
उत्तराखंड	1.052	1.104	1.118
पश्चिम बंगाल	7.324	7.519	7.523
कुल	**100**	**100**	**100**

स्रोत: 14 वें और 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, PRS

21 संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची जो 1992 में 73 वें और 74 वें संशोधन अधिनियमों द्वारा संविधान का हिस्सा बना। इस लिंक पर उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2023/02/2023021533.pdf
22 पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत करना (2022). PIB. इस लिंक पर उपलब्ध: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1814116
23 संविधान के अनुच्छेद 270, 275 और 280.
24 वित्त आयोग (2020). कोविड काल में वित्त आयोग। रिपोर्ट 2021-2026. इस लिंक पर उपलब्ध: https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC-Complete-Report-1.pdf
25 आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. S.O. 5533(E) दिनांक 31 दिसंबर 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://fincomindia.nic.in/asset/doc/doc20231231295101.pdf

चित्र 13: क्षैतिज असमानताओं को दूर करने के लिए वित्त आयोग के मानदंड

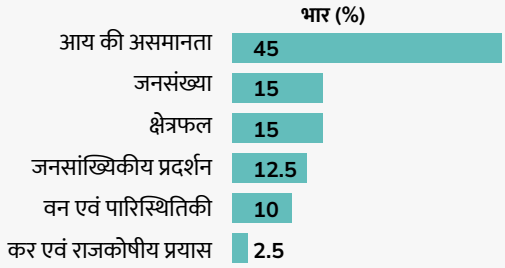

पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि केंद्र 2021-22 से 2025-26 के बीच अपनी कर प्राप्ति का 41 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा करे। (कर हस्तांतरण के राज्यवार विवरण के लिए चित्र 12 देखें)।

ये गणनाएं केंद्र और राज्य के बीच ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए तैयार की गई हैं, जो उनके राजस्व और व्यय के बेमेल होने के कारण पैदा होता है। जैसे, राज्य कुल राजस्व का केवल 37.3 प्रतिशत ही एकत्र करते हैं, लेकिन व्यय का बड़ा हिस्सा, 62.4 प्रतिशत, वहन करते हैं।

वित्त आयोगों के आवंटन राज्यों के बीच मौजूद क्षैतिज असमानताओं को भी दूर करते हैं, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे राज्यों से अधिक धनी हैं, जिनके पास आवश्यक राज्य व्यय के लिए धन जुटाने हेतु राजस्व के स्रोत या संस्थागत क्षमता नहीं हो सकती है।

यह सब जानते हैं कि सभी योजनाओं और उपक्रमों का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर होता है। हालांकि, केंद्र और राज्यों द्वारा एकत्रित राजस्व और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय के बीच असमानता है। राज्यों को सभी स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व केंद्र सरकार को प्राप्त राजस्व से बहुत कम होता है, फिर भी राज्यों का व्यय केंद्र सरकार से बहुत अधिक है।

2023–24	प्राप्तियां (करोड़ रुपए)	व्यय (करोड़ रुपए)	आय और व्यय के बीच का अंतर
केंद्र सरकार[26]	4,517,137	3,513,761	1,003,376
राज्य सरकारें (संयुक्त रूप से)[27]	4,309,000	5,301,000	-992,000

इस ऊर्ध्वाधर असंतुलन को दूर करने के लिए, वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि और निधि-साझेदारी की नियमित समीक्षा और पुनरीक्षण का प्रावधान दिया है। हालांकि, कई वित्तीय चक्रों से केंद्र सरकार ने न तो अनुशंसित प्रतिशत के अनुसार आवंटन किया है और न ही राजस्व आवंटन में उल्लेखनीय पुनरीक्षण किया है। जैसे, वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डिविज़िबल टैक्स पूल का 35.5 प्रतिशत (BE) राज्यों को देना निर्धारित किया था। यह 15 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41 प्रतिशत से कम है और विभाज्य निधि/डिविज़िबल फ़ंड में राज्यों की हिस्सेदारी में गिरावट जारी है।

वित्त आयोग के अनुदानों का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करना है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक प्रयोजन अनुदानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

न्याय क्षेत्र के लिए, वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि यह दो विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित सिफ़ारिशें करता है:

(क) न्यायपालिका के लिए अनुदान

15 वें वित्त आयोग ने पांच वर्षों में **न्यायपालिका को 10,425 करोड़ का अनुदान** देने की सिफ़ारिश की है, जिसमें एक कोर्ट के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 82.5 लाख रुपए की सीमा तय है। इन अनुदानों के घोषित उद्देश्यों में शामिल हैं: पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण और रखरखाव; जघन्य अपराधों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स का संचालन; हाशिए के लोगों से जुड़े दीवानी मामलों के निपटान दरों में सुधार; और संपत्ति और आर्थिक अपराध से जुड़े पांच साल पुराने मामलों का निपटारा।

विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग साल 2021 से 2026 के बीच फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स को प्राथमिकता देगा और देश भर में 2,530 नए एवं आधुनिक पॉक्सो कोर्ट्स स्थापित करेगा। प्रत्येक राज्य के लिए नए कोर्ट्स की प्रस्तावित संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 के अपराध दर के आंकड़ों पर आधारित है।

(ख) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु अनुदान

15 वें वित्त आयोग ने कभी खत्म नहीं होने वाली निधि के तहत **रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (MFDIS)** की स्थापना की भी सिफ़ारिश की है। इसका वित्तीय परिव्यय पांच वर्षों में **₹2,38,354 करोड़** होगा और एक वर्ष में 51,000 करोड़ से अधिक व्यय नहीं किया जा सकेगा। लोक लेखा समिति द्वारा निरीक्षण की जाने

26 केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्राप्ति बजट दस्तावेज़ 2023-24 से लिया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www1indiabudget1gov1in/doc/rec/ar1pdf

27 सभी राज्यों के संयुक्त आंकड़ों (प्राप्तियां और व्यय) का स्रोत है: RBI की रिपोर्ट, "राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन 2023". इस लिंक पर उपलब्ध: https://rbi1org1in/Scripts/PublicationsView1aspx?id=22248

वाली इस निधि को चार स्रोतों से क्रमिक रूप से धन उपलब्ध कराया जाएगा:

(i) भारत की समेकित निधि से हस्तांतरण;
(ii) रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय;
(iii) अधिशेष रक्षा भूमि की बिक्री से प्राप्त आय; और
(iv) रक्षा भूमि से प्राप्तियां, जिन्हें भविष्य में राज्य सरकारों और सार्वजनिक परियोजनाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है।

उपरोक्त चार राजस्व स्रोतों में पहले को छोड़ शेष तीन से प्राप्त धनराशि पर अधिकार सिर्फ़ रक्षा मंत्रालय (MoD) का होगा। गृह मंत्रालय[28] (MHA) इसमें से उतनी ही धनराशि ख़र्च कर सकता है जितनी केवल पहले स्रोत में उसके लिए निर्धारित की गई है।

इस आय का इस्तेमाल निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:

- रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश,
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के लिए पूंजीगत निवेश,
- गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, और
- सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के कल्याण निधि के लिए छोटा सा आवंटन।

हालांकि, पहले ऐसा पाया गया है कि विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे, शिक्षा और सड़क) के लिए समर्पित उपायों से धन उपलब्ध कराने से उनके लिए सामान्य बजट आवंटन में धीमी वृद्धि हुई है। ऐसे में यह देखना बाक़ी है कि क्या कभी खत्म नहीं होने वाली निधि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए बजट संसाधनों को और कम कर देगी।

CSS का उदाहरण- मिशन वात्सल्य

मिशन वात्सल्य एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे केंद्र द्वारा 60 और राज्य द्वारा 40 प्रतिशत के अनुदान द्वारा राज्यों में लागू किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप बाल विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। यह योजना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत कार्यान्वित की जाती है।

मिशन वात्सल्य योजना मूल रूप से पुरानी योजनाओं से परिष्कृत होकर बनी है। पहले इसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तौर पर (ICPS) 2009-10 में लागू किया गया था, जिसका नाम बदलकर 2017 में 'बाल संरक्षण सेवाएं' (CPS) योजना कर दिया गया। ICPS के पहले से मौजूद जिन तीन योजनाओं का बाद में इसमें विलय कर दिया गया, वे हैं:

(i) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि विवादित बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम;
(ii) बेघर बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम; और
(iii) बच्चों के आवास (शिशु गृह) के लिए सहायता योजना।

2021-22 से, इस CPS योजना को मिशन वात्सल्य में एकीकृत कर दिया गया है और यह भारत में बच्चों के संरक्षण के लिए प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना बन गई है।

चित्र 14: भारत में अंतर-सरकारी हस्तांतरण के प्रकार

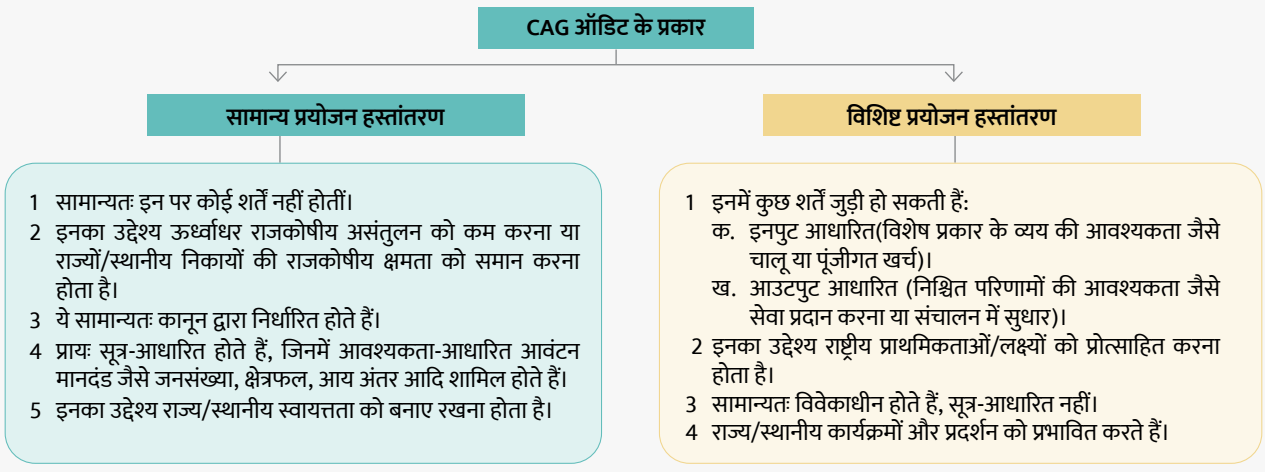

28 इस कोष का संचालन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक उपयुक्त रूप से सशक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) द्वारा किया जाता है। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों में रक्षा, गृह और व्यय सचिव तथा चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ शामिल होते हैं।

न्याय क्षेत्र की केंद्रीय योजनाओं की एक सूची नीचे है, जिसमें गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत पुलिस से संबंधित तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय (MLJ) के अंतर्गत क़ानूनी मामलों से संबंधित योजनाओं का विवरण है:

गृह मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय योजनाएं:

1. पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर
2. महिला सुरक्षा योजनाएं
3. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र
4. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना IV
5. अंतर-संचालन योग्य (ICJS) आपराधिक न्याय प्रणाली
6. जेलों का आधुनिकीकरण
7. महिला हेल्प डेस्क/मानव तस्करी विरोधी ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण
8. फ़ॉरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण

विधि एवं न्याय विभाग (DLJ) से संबंधित केंद्रीय योजनाएं:

1. भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)
2. ई-कोर्ट्स फ़ेज II
3. ई-कोर्ट्स फ़ेज III

(iii) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)

वित्त आयोग के सार्वजनिक प्रयोजन अनुदानों के अलावा, केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत राज्यों को विशिष्ट प्रयोजन हस्तांतरण करती है।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं या CSS इस श्रेणी में आते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, CSS केंद्र तैयार करता और इसके लिए ज़रूरी धनराशि का एक हिस्सा उपलब्ध कराता है, जबकि केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य इन्हें कार्यान्वित करते हैं। जबकि FC हस्तांतरण राज्यों को केंद्र से प्राप्त होने वाले कुल हस्तांतरण का 64.6 प्रतिशत है, वहीं शेष 35.4 प्रतिशत ग़ैर-FC हस्तांतरण से प्राप्त होता है। गौरतलब है कि ग़ैर-FC हस्तांतरण केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) और केंद्रीय योजनाओं के ज़रिए मिलता है (15वें वित्त आयोग रिपोर्ट से ली गई तालिका देखें)। इसमें कर हस्तांतरण शामिल नहीं है। कर हस्तांतरण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण से संबंधित होता है।

(iv) मुख्य योजनाएं

इनके अलावा, कुछ योजनाएं मुख्य योजनाओं के रूप में वर्गीकृत हैं। इनके लिए आमतौर पर 60:40 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और इनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार धनराशि के बड़े हिस्से का भार उठाती है और राज्यों से शेष धनराशि का प्रबंध करने की अपेक्षा की जाती है।

राज्यों को जब विशेष मामलों में अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत होती है, तब अपवादस्वरूप 90:10 के अनुपात पर सहमति बनती है, जैसे, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर। जरुरी धनराशि का भार आमतौर पर 60:40 के अनुपात में उठाया जाता है। उदाहरणों में शामिल हैं: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), एकीकृत वॉटरशेड विकास कार्यक्रम आदि।

न्याय क्षेत्र से संबंधित मुख्य योजनाओं के उदाहरण हैं: **न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की योजना** (ग्राम न्यायालय और ई-कोर्ट्स सहित) और **पुलिस बलों का आधुनिकीकरण** (सुरक्षा संबंधी व्यय सहित)।

(v) केंद्रीय योजनाएं

इनके तहत ऐसी सभी योजनाएं शामिल हैं जो पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वित की जाती हैं क्योंकि वे संविधान की संघ सूची के विषयों से संबंधित होते हैं। जैसे: फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रवासियों और स्वदेश वापस भेजे जाने वालों का राहत एवं पुनर्वास।

न्याय क्षेत्र की केंद्रीय योजनाओं की एक सूची नीचे है, जिसमें गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत पुलिस से संबंधित तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय (MLJ) के अंतर्गत क़ानूनी मामलों से संबंधित योजनाओं का विवरण है:

सभी योजनाओं से संबंधित पूरे आंकड़े केंद्रीय बजट 2023-24 के **व्यय प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ के 4A और 4B** से प्राप्त किए जा सकते हैं।[29]

9. नीति आयोग

'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था' या नीति आयोग, सरकार का एक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को भारत के योजना आयोग (जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी) की उत्तरवर्ती संस्था के रूप में हुई थी। बजट निर्माण के संदर्भ में योजना आयोग, योजना और ग़ैर-योजना आवंटनों का संकलन करता था, लेकिन 2014 से यह विभेद समाप्त कर दिया गया है। नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को नीतिगत अनुसंधान और तकनीकी सहायता, नई पहलों के विकास, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों में कमियों की पहचान करने में सहायता करता है।

29 केंद्रीय बजट का ख़र्च का विवरण। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.indiabudget.gov.in/budget2023-24/doc/eb/vol1.pdf

नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह सरकार द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करता है। इसका व्यापक कार्यक्षेत्र इन चार मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आता है: नीति और कार्यक्रम ढांचा; सहयोगपूर्ण संघवाद; अनुश्रवण और मूल्यांकन; और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र बनना।

यहां इस संस्था का उल्लेख मुख्य रूप से संतुलित राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को विशिष्ट सिफ़ारिशें करने के इसके घोषित मिशन के संदर्भ में किया गया है। नीति आयोग ऐसा अनुसंधान अध्ययनों और राज्य सरकारों के इनपुट एकत्रित करने के लिए उनके साथ बैठकों के आयोजन द्वारा करता है।

10. बजट विश्लेषण में पर्यवेक्षण रिपोर्ट की भूमिका

किसी पहल/योजना/कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण तैयार करते समय, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी रिपोर्ट्स की जांच-पड़ताल करना भी ज़रूरी होता है। जैसे, CAG, विभाग-संबंधित स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, आदि। MPF के इस उदाहरण में, उत्तर प्रदेश[30] के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 2017 की CAG की निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट बहुत व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

हालांकि यह रिपोर्ट पुरानी है, फिर भी उत्तर प्रदेश की MPF योजना की पांच वर्ष (2011 से 2016) की निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट विमर्श के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने लाती है।

इस तरह, यह साफ़ हो जाता है कि CAG जैसी संस्थाएं प्रभावी रूप से सरकारों की जवाबदेह तय करने में सक्षम हैं। हालांकि, जैसा कि भाग 4 (बजट पर्यवेक्षण/ऑडिट के अंतर्गत बजट चक्र) में बताया गया है, हाल के वर्षों में इन रिपोर्टों के जारी होने एवं विधानमंडल पटल पर इन्हें रखने और इनकी प्रस्तुति में काफ़ी देरी हुई है, जिससे ये पहले की तरह प्रभावी नहीं रह गए हैं। किसी प्रमुख सरकारी योजना के निष्पादन ऑडिट की प्रस्तुति में काफ़ी देरी, इससे संबंधित कार्यक्रमों पर सार्वजनिक बहस को सीमित कर देती है।

आख़िर में, बजट संबंधी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को गहराई से समझने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है, जिसे इनके निरंतर अध्ययन और आंकड़े आधारित विश्लेषण के ज़रिए ही और बेहतर बनाया जा सकता है। न्याय क्षेत्र में ऐसे कई कार्यक्रम और योजनाएं हैं जिनकी MPF जैसी छानबीन ज़रूरी है। इससे हमें अपनी यह समझ व्यापक बनाने में मदद मिलेगी कि सरकार कैसे काम करती है, विभिन्न माध्यमों से धन की कैसे प्राप्ति होती है और क्या यह प्रयास अंततः एक अधिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण में योगदान देता है। हमें उम्मीद है कि यह दस्तावेज़ उन लोगों के लिए मार्गदर्शिका साबित होगा जो आंकड़ों से उजागर होने वाली रिपोर्ट्स को सामने लाने की शुरुआत करना चाहते हैं।

इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण ऑडिट निष्कर्षों की विशिष्टताओं को समझने में मदद करता है:

- पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना शुरू होने के दशकों बाद भी, राज्य पुलिस अभी भी पुराने हथियारों और संचार तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है।
- ज़िला स्तर पर पुलिस वाहनों की उपलब्धता अतार्किक है। जहां 43 ज़िलों में पुलिस के पास 11 से 46 प्रतिशत तक वाहनों की कमी पाई गई, वहीं शेष 32 ज़िलों में या तो वाहनों की अधिकता थी या फिर उनकी कमी ग़ैरमामूली थी।
- विभाग फ़ॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करने में विफल रहा है जिसकी परिकल्पना परिप्रेक्ष्य योजना/पर्सपेक्टिव प्लान 2011-16 में की गई थी। राज्य के केवल 44 प्रतिशत ज़िलों में ही मोबाइल फ़ॉरेंसिक वैन उपलब्ध है और 500 मंडलों में से किसी में भी अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। योजना के अनुसार, मौजूदा FSL में नए अनुभाग भी नहीं खोले गए हैं।
- 2011-16 के दौरान प्रशिक्षण उपकरणों की ख़रीद के लिए आवंटित कुल धनराशि का 80 प्रतिशत (25.65 करोड़ रुपए) ख़रीद प्रक्रिया तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में देरी के कारण वापस करना पड़ा।
- पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों/विद्यालयों/केंद्रों में जहां 2011-16 के दौरान इनडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की भारी कमी (36 से 68 प्रतिशत) थी, वहीं 2011-14 के दौरान आउटडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की अधिकता (19 प्रतिशत) थी। राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों की अपर्याप्त क्षमता और इनडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की कमी ने पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को बुरी तरह प्रभावित किया।
- पुलिस बल के सभी विंग उपकरणों की ख़रीद में देरी करते हैं, इसमें अकुशलता झलकती है और लागत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है।
- राज्य में अभी भी आवश्यक संख्या के मुक़ाबले केवल आधे पुलिस स्टेशन ही हैं।

30 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (2017)। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रदर्शन लेखा परीक्षण। इस लिंक पर उपलब्ध: https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2017/Report_No.3_of_2017_Performance_Audit_of_Modernisation_of_Police_Forces_Government_of_Uttar_Pradesh.pdf

अनुलग्नक

न्यायिक क्षेत्र के लिए कुल 24 DRSC में से तीन महत्वपूर्ण हैं। ये हैं:

1. गृह मामलों की समिति

जेल - स्थितियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार (21 सितंबर, 2023)

समिति ने जेलों को धनराशि उपलब्ध कराने के महत्व पर ज़ोर दिया। हालांकि, केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन जेलों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के पास भी अपना बजट होता है और यह उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है। प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (2021) के अनुसार, 2021-22 में भारत की सभी जेलों का कुल बजट ₹7,619 करोड़ था। वहीं 2021-22 के लिए वास्तविक व्यय आवंटित बजट का लगभग 88 प्रतिशत (₹6,727 करोड़) था। समिति ने पाया कि बारह राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने जेल विभागों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा, आठ राज्यों को केंद्र सरकार से कोई धनराशि नहीं मिली। इसने सिफ़ारिश की कि गृह मंत्रालय (MHA) उन राज्य सरकारों को केंद्रीय धनराशि आवंटित करे जिन्हें पिछले पांच वर्षों में कोई धनराशि नहीं मिली है।

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/files/policy/policy_committee_reports/Standing_Committee_Report_Summary_prison_conditions.pdf

पुलिस प्रशिक्षण एवं सुधार (10 फ़रवरी, 2022)

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/files/policy/policy_committee_reports/SCR_Summary_Police_Reforms.pdf

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अत्याचार एवं अपराध (15 मार्च, 2021)

समिति ने पाया कि निर्भया कोष की केवल 39 प्रतिशत राशि ही वितरित की गई। इसने इस कोष के उपयोग के पर्यवेक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर एक समिति गठित करने की सिफ़ारिश की। इसके अलावा, समिति ने यह भी पाया कि इस कोष की निधि का इस्तेमाल लगातार अन्य योजनाओं में किया जा रहा था।

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/policy/report-summaries/atrocities-and-crimes-against-women-and-children

2. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय समिति

न्यायिक प्रक्रियाएं और उनसे संबंधित सुधार (7 अगस्त, 2023)

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/files/policy/policy_committee_reports/SCR_Summary_Judicial_processes_and_their_reforms.pdf

वर्चुअल कोर्ट्स का संचालन (11 सितंबर, 2020)

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/policy/report-summaries/functioning-of-virtual-courts

कार्रवाई रिपोर्ट। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/18/191/134_2023_12_14.pdf?source=rajyasabha

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में रिक्तियां भरने में हो रही अत्यधिक देरी (6 दिसंबर, 2016)

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/policy/report-summaries/inordinate-delay-in-filling-up-the-vacancies-in-the-supreme-court-and-high-courts

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विधिक शिक्षा और अनुसंधान का संवर्धन (4 अगस्त, 2016)

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/policy/report-summaries/promotion-of-legal-education-and-research-under-the-advocates-act-1961

जनजातीय न्याय प्रणाली और देश की औपचारिक न्याय प्रणाली के बीच तालमेल (10 मार्च, 2016)

प्रस्तावित जनजातीय अदालतों के लिए क़ानूनों को संहिताबद्ध करने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में मदद करने के लिए, राज्य न्यायिक

अकादमियों और विलेज मोबाइल कोर्ट्स को विशेष धनराशि आवंटित की जा सकती है।

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/policy/report-summaries/synergy-between-tribal-justice-system-and-regular-justice-system-of-the-country

अधीनस्थ अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उसका सुदृढ़ीकरण (6 फ़रवरी, 2014)

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/policy/report-summaries/infrastructure-development-and-strengthening-of-subordinate-courts

3, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति

हिरासत में महिलाएं और न्याय तक पहुंच (22 दिसंबर, 2017)

रिपोर्ट का सारांश। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://prsindia.org/policy/report-summaries/women-in-detention-and-access-to-justice

संदर्भ सूची

सेंटर फ़ॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी (2007). प्राइमर ऑन सिविल सोसाइटी बजट वर्क। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2016/03/PRIMER-2-FIN-reduced.pdf

सेंटर फ़ॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी (2007). प्राइमर ऑन बजट एनालिसिस: टेकिंग द केस ऑफ़ एलिमेंटरी एजुकेशन। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2016/03/PRIMER-3-FIN.pdf

सेंटर फ़ॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी (2007). लेट्स टॉक अबाउट बजट। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2016/03/PRIMER-1-FIN-reduced.pdf

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया। (2024). स्टेट फ़ाइनैंसेज: ए स्टडी ऑफ़ बजट्स। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=State per cent20Finances per cent20: per cent20A per cent20Study per cent20of per cent20Budgets#

यूनियन बजट वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया। इस लिंक पर उपलब्ध:
https://www.indiabudget.gov.in

शब्दावली

वास्तविक व्यय (AE)

पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा वास्तव में ख़र्च की गई राशि, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कार्यालय द्वारा ऑडिट और प्रमाणित किया गया है।

वार्षिक वित्तीय विवरण

यह बजट सार जैसा ही होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु इसे अलग तरीक़े से तैयार किया जाता है।

विनियोग लेखा

इसे राज्य के महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है, जो अंतिम अनुदान और वास्तविक व्यय के बीच किसी भी विसंगति के बारे में बताता है और इसकी व्याख्या करता है।

विनियोग विधेयक

यह विधेयक, जिसे विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है, सरकार को राज्य समेकित निधि से धनराशि निकालने का अधिकार देता है ताकि समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा किया जा सके और विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों का प्रावधान किया जा सके।

बजट अनुमान (BE)

चालू या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा ख़र्च की जाने वाली अनुमानित राशि।

बजट की मुख्य विशेषताएं

यह बजट की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण होता है, जो प्रमुख उपलब्धियों, धन आवंटन हेतु बजट प्रस्ताव और कर प्रस्तावों के सारांश की जानकारी देता है।

बजट भाषण

संसद/राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते समय केंद्रीय/राज्य वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण की प्रतिलिपि।

बजट का सार

यह सरकार द्वारा जुटाई गई कुल धनराशि (कर या उधारों के ज़रिए) का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है और बजट घाटे/अधिशेष की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ धनराशि ख़र्च किए जाने संबंधी रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

पूंजीगत खाता

बजट के पूंजीगत लेखा में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण रहता है। परिसंपत्ति सृजन या देनदारी चुकाने के लिए किया गया कोई भी व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां ऐसे लेन-देन को कहते हैं जिनसे सरकारी परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों में वृद्धि होती है। जैसे, ऋण वसूली और विनिवेश एवं ऋण से होने वाली आय।

पूंजीगत व्यय

परिसंपत्तियों के निर्माण या देनदारियों में कमी लाने में किया गया कोई भी व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों में वृद्धि होती है। जैसे, ऋणों की वसूली, विनिवेश और ऋण से होने वाली आय।

कॉरपोरेशन टैक्स

भारत के भौगोलिक क्षेत्र में परिचालन करने वाले पंजीकृत कंपनियों/निगमों (चाहे राष्ट्रीय हो या बहुराष्ट्रीय/विदेशी) की आय पर लगाए जाने वाले कर को कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। राष्ट्रीय कंपनियों पर उनकी कुल आय, चाहे उनका स्रोत और उद्गम कुछ भी हो, पर कर लगाया जाता है, जबकि विदेशी कंपनियों पर केवल भारत में उनके संचालन से होने वाली आय पर कर लगाया जाता है।

घाटा

सरकार एक वर्ष में अपनी प्राप्तियों के मुक़ाबले जितना अधिक व्यय करती है, उस अंतर को घाटा कहा जाता है।

अनुदान मांग/विनियोग विधेयक

संविधान के तहत आवश्यक दो दस्तावेज़, जो संसद से विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करते हैं। संसद इन दोनों दस्तावेज़ों को मतदान द्वारा पारित करती है।

प्रत्यक्ष कर

किसी व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

विनिवेश
सरकार द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री या समापन, जिसमें आमतौर पर केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएं या अन्य अचल संपत्तियां शामिल होती हैं।

व्यय बजट
यह बताता है कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में कितना और कहां ख़र्च करने का इरादा रखती है।

व्यय विवरण
यह सभी मंत्रालयों के कुल व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह विभिन्न हित श्रेणियों के अनुसार व्यय का विवरण उपलब्ध कराता है। जैसे कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का सारांश।

वित्त विधेयक
संसद में प्रस्तुत एक विधेयक जिसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित कर संबंधी बदलावों को लागू करने के लिए विभिन्न क़ानूनी संशोधन शामिल होते हैं। इसे मतदान द्वारा पारित कराया जाता है।

राजकोषीय घाटा
किसी वित्तीय वर्ष में अगर सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तब राजकोषीय घाटा होता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए, सरकार अतिरिक्त संसाधनों से राजकोषीय घाटे के बराबर धन उधार लेती है।

राजकोषीय नीति रणनीति
एक विवरण जो ठोस राजकोषीय नीतियों का पालन करने संबंधी सरकार के प्रयासों और FRBM अधिनियम के तहत घाटे के लिए निर्धारित लक्ष्यों से किसी भी विचलन के कारणों की व्याख्या करता है।

GST क्षतिपूर्ति उपकर
यह कुछ वस्तुओं, जैसे तंबाकू और संबंधित उत्पाद, कोयला, पेय पदार्थ, लग्जरी कार आदि पर नियमित GST के अलावा लगाया जाता है। राज्यों के अपने GST संग्रह में कमी आने पर इन उपकरों से प्राप्त राजस्व का उपयोग इसकी क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है।

सहायता अनुदान
त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली में, ऊपरी सोपान की सरकार द्वारा निचले सोपान की सरकार को वित्तीय मदद दी जाती है, यानी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता। ये ऋणों से अलग होती है क्योंकि इन्हें वापस चुकाने की ज़रूरत नहीं होती।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निर्दिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष, के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।

गिलोटिन
आमतौर पर, लोकसभा में चार या पांच अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा होती है। सदन की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा चुने गए मंत्रालय, जो हर साल अलग-अलग होते हैं, की अनुदान मांगों पर चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद मतदान कराया जाता है। जिन मांगों पर अंतिम दिन तक चर्चा और मतदान नहीं हो पाता, उन्हें 'गिलोटिन' कर दिया जाता है, अर्थात उन पर एक साथ मतदान किया जाता है।

आयकर
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनियों के अलावा, व्यक्तियों, फर्मों आदि की आय पर लगाया जाने वाला कर।

अप्रत्यक्ष कर
किसी ऐसे लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर जिसे हस्तांतरित किया जा सकता है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS)
सरकार के बजट, व्यय, भुगतान आदि के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली बजट व लेखा प्रणाली।

स्थानीय निकाय अनुदान
संविधान के अनुच्छेद 275(1) द्वारा निर्धारित शहरी और ग्रामीण - दोनों स्तर के स्थानीय निकायों के लिए अनुदान।

वृहत-आर्थिक रूपरेखा
अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं के बारे में सरकार के आकलन की व्याख्या करता है।

मध्यावधि राजकोषीय नीति
एक विवरण जिसमें अगले तीन वर्षों के लिए बजट घाटे के आकार की सीमाएं और साथ ही कर और ग़ैर-कर प्राप्तियों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

वित्त विधेयक का ज्ञापन
वित्त विधेयक के विभिन्न क़ानूनी प्रावधानों और उनके पहलुओं को सरल भाषा में समझाता है।

मोटर वाहन कर
राज्यों द्वारा अपने-अपने मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत प्रत्येक मोटर वाहन पर लगाया जाने वाला कर। केंद्र सरकार को समय-समय पर कर की दर बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

ग़ैर-कर राजस्व
धन, आय या संपत्ति के अलावा अन्य स्रोतों से मिलने वाला राजस्व। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य ग़ैर-कर स्रोतों, जैसे खनिजों और धातुओं के खनन, से राजस्व जुटाते हैं। अन्य प्रमुख स्रोतों में ब्याज प्राप्तियां, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त होने वाला लाभांश एवं मुनाफ़ा और साथ ही सार्वजनिक, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर उपयोगकर्ता शुल्क से प्राप्त आय शामिल हैं।

सार्वजनिक ऋण
भारत की समेकित निधि के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की कुल देनदारियां।

प्राप्ति बजट
इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है कि सरकार विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने कैसे जुटाएगी।

राजस्व लेखा

इसमें राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का विवरण रहता है। ऐसा कोई भी व्यय जो परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता या देनदारियों को कम नहीं करता, राजस्व व्यय कहलाता है। इसके उदाहरणों में शामिल हैं: वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि।

करों, राजस्व के ग़ैर-कर स्रोतों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त आय को राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। आयकर, कॉरपोरेशन टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि कर राजस्व के कुछ स्रोत हैं, जबकि ब्याज प्राप्तियां, उपयोगकर्ता शुल्क और सरकारी उद्यमों से प्राप्त लाभांश या मुनाफ़ा ग़ैर-कर राजस्व के उदाहरण हैं।

राजस्व घाटा
राजस्व व्यय अगर राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, तो दोनों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। कोई भी व्यय/प्राप्ति जो परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करती या देनदारियों को कम नहीं करती, उसे राजस्व व्यय/प्राप्ति माना जाता है।

राजस्व व्यय
कोई भी व्यय जो परिसंपत्ति सृजन या देनदारियां कम नहीं करता, उसे उसे राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे, वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, आदि।

राजस्व प्राप्तियां
कर और ग़ैर-कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व। कर राजस्व के उदाहरण हैं: आयकर, कॉरपोरेशन टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जबकि ग़ैर-कर राजस्व के उदाहरण हैं: ब्याज प्राप्तियां, उपयोगकर्ता शुल्क और सरकारी उद्यमों से प्राप्त लाभांश या मुनाफ़ा।

संशोधित अनुमान (RE)
संशोधित अनुमान या 'संशोधित प्रक्षेपण' आगामी वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के मूल बजट अनुमानों में संशोधन के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

बिक्री कर
यह कर आम तौर पर कुछ कर योग्य वस्तुओं की ख़रीद या विनिमय पर लगाया जाता है। VAT लागू होने से पहले, वस्तुओं पर केंद्रीय क़ानून (केंद्रीय बिक्री कर) और राज्य सरकारों के क़ानूनों (बिक्री कर) - दोनों के तहत बिक्री कर लगाया जाता था। यह उत्पाद के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है।

सेवा कर
यह किसी संस्था, जैसे बैंक या होटल, द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर होता है। इस कर के भुगतान की ज़िम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में उत्पाद शुल्क और सेवा कर दोनों शामिल होते हैं।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर लगाया जाने वाला शुल्क, जो अधिकांश राज्यों के लिए कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।

राज्य उत्पाद शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क या CENVAT के विपरीत, राज्य उत्पाद शुल्क शराब और संबंधित उत्पादों, मादक द्रव्यों और ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर लगाया जाता है।

अनुपूरक बजट

वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले बजट तैयार किए जाते हैं, जिनमें सरकार द्वारा अनुमानित राजस्व और व्यय के आंकड़े शामिल होते हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम अक्सर अनुमानों से अलग होते हैं, जैसे अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है या अतिरिक्त ख़र्च की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे में, सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लघु बजट पेश कर सकती है। 'अनुपूरक बजट' कहे जाने वाले ऐसे बजट पूर्ण बजट की तुलना में छोटे होते हैं और आम तौर पर विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होते हैं।

कर

पात्र करदाताओं से सरकार को एक बाध्यकारी हस्तांतरण, जो सरकार को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

कर राजस्व

व्यक्तियों या संगठनों पर लगाए गए विभिन्न करों, चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, के ज़रिए एकत्रित राजस्व।

कर-जीडीपी अनुपात

यह कर राजस्व को देश की आय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी देश के पास उपलब्ध साधनों की अंतर-देशीय तुलना का प्रबंध करता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1985 के तहत, भारत में घरेलू उपभोग के लिए निर्मित वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उत्पादन कर। साल 1999 से, इसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) कहा जाता है। कुछ वस्तुओं, जैसे शराब एवं इससे संबंधित उत्पाद और मादक पदार्थ, पर राज्य उत्पाद शुल्क के ज़रिए कर लगाया जाता है, जिसका संग्रह सभी राज्य करते हैं।

स्वीकृत या अभिभारित व्यय

वह व्यय जिसे विधानमंडल/संसद द्वारा अनुमोदित या पारित किया जाना आवश्यक है, स्वीकृत व्यय कहलाता है, जबकि भारत की समेकित निधि से स्वतः विकलित होने वाला कोई भी व्यय अभिभारित व्यय कहलाता है। अभिभारित व्यय के उदाहरण हैं: सभी संवैधानिक संस्थानों से संबंधित ख़र्च, ब्याज भुगतान और राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन। संसद इन मामलों पर चर्चा तो कर सकती है, लेकिन इसके लिए मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ती।

चित्रों की सूची

चित्र 1	घरेलू आय/ख़र्च का ब्यौरा	10
चित्र 2	बजट का सार- भारत की सरकार का केंद्रीय बजट- 2025-26	11
चित्र 3	सरकारी प्राप्तियों में राजस्व और पूंजी प्राप्तियां	12
चित्र 4	राजस्व और पूंजीगत व्यय के उदाहरण	13
चित्र 5	सरकारी खातों की संरचना	15
चित्र 6	सरकारी अकाउंटिंग का छह स्तरीय वर्गीकरण	15
चित्र 7	पुलिस आधुनिकीकरण योजना, उत्तर प्रदेश, गृह विभाग (पुलिस) का छह-स्तरीय वर्गीकरण (लाख रुपए में)	16
चित्र 8	बजट चक्र	16
चित्र 9	केंद्र सरकार के स्तर पर बजट की समय-सारणी	17
चित्र 10	राज्य सरकार के स्तर पर बजट की समय-सारणी	18
चित्र 11	CAG ऑडिट के प्रकार	20
चित्र 12	राज्यवार कर हस्तांतरण का विवरण	21
चित्र 13	क्षैतिज असमानताओं को दूर करने के लिए वित्त आयोग के मानदंड	22
चित्र 14	भारत में अंतर-सरकारी हस्तांतरण के प्रकार	23

न्याय के लिए बजट: मार्गदर्शिका के बारे में

'न्याय के लिए बजट' में 1 करोड़ से अधिक आबादी और उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले शीर्ष 11 राज्यों में न्याय व्यवस्था के लिए बजटीय आवंटन और ख़र्चों का अध्ययन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेज़ों का उपयोग करते हुए, यह आवंटन और उपयोग के स्तर और न्याय व्यवस्था के मुख्य स्तंभों- पुलिस, जेल, न्यायपालिका, और क़ानूनी सहायता को मिले बजट का विश्लेषण करता है।

हर स्तंभ में प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का भी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

यह मार्गदर्शिका IJR के विस्तृत प्रारंभिक अध्ययन का एक सहायक दस्तावेज़ है, जिसमें बताया गया है कि देश के ग्यारह सबसे अमीर राज्य अपनी न्याय प्रणाली के लिए कितना बजट आवंटित करते हैं।

मुख्य रिपोर्ट पढ़ने, आंकड़े जानने और अधिक इस्तेमाल के लिए
https://indiajusticereport.org पर क्लिक करें।
ईमेल आईडी: indiajusticereport@gmail.com फोन नंबर: 9717676026

पार्टनर्स

CHRI · COMMON CAUSE · DAKSH · Centre for Social Justice · TISS · PRAYAS · VIDHI Centre for Legal Policy

डिज़ाइन

How INDIA Lives

डोनर्स

Frappe · Rohini Nilekani philanthropies · TATA TRUSTS · Cyrus Guzder · J.T. Pathak Trust · LAL FAMILY FOUNDATION · Ravi Venkatesan · Tree of Life Foundation · Azim Premji Foundation · AI FOUNDATION